छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

CSERC
छत्तीसगढ़ राज्य
विद्युत नियामक आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2016

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016

विषय–सूची

खण्ड क्र.	शीर्षक		पृष्ठ क्र.
1.	प्रस्तावना	:	1–3
2.	मानव संसाधन एवं उनका विकास	:	4–6
3.	आयोग के कृत्य, कार्यवाहियाँ, शक्तियाँ एवं उसकी कार्यप्रणाली	:	7–10
4.	राज्य सलाहकार समिति	:	11–11
5.	वर्ष 2016 में आयोग द्वारा किये गये विभिन्न कार्यों का विवरण	:	12–18
	परिशिष्ठ–1	:	19–19
6.	आयोग का वित्त एवं लेखा विवरण	:	20–20
	<u>परिशिष्ट</u>		
	वित्तीय वर्ष 2015–16 का संपरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण, लेखा संपरीक्षा प्रमाण पत्र तथा प्रतिवेदन	:	21–42

खण्ड–1
प्रस्तावना

1.1 उद्देशिका (मिशन स्टेटमेंट)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इलेक्ट्रीसिटी रेग्युलेटरी कमीशंस एक्ट 1998 एवं विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 के अनुसरण में किया गया है। आयोग उक्त अधिनियम तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति एवं टैरिफ नीति में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप कार्य सम्पादित करता है। आयोग का ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि विद्युत, जो कि विकास का एक अति महत्वपूर्ण घटक है, वाणिज्यिक नीति पर आधारित होते हुए भी ऐसे मूल्य पर उपलब्ध हो जो जन–साधारण की पहुँच में हो। आयोग राज्य में विद्युत के क्षेत्र में सुधार हेतु ऐसे दिशा–निर्देश एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है जिनसे दक्षता, मितव्ययिता, प्रतिस्पर्धा का संवर्धन हो एवं उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त हो। अपने कार्य को संपन्न करने हेतु आयोग इस विषय से संबंधित समस्त व्यक्तियों विशेषतः उपभोक्ताओं की भागीदारी प्राप्त करने के प्रति सदा–सर्वदा सजग है। आयोग, राज्य में ऐसे विनियमित परिवेश की स्थापना करने हेतु प्रयत्नशील है जिससे प्रदेश में विद्यमान ताप–विद्युत, जल–विद्युत, विद्युत के नवीन तथा अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों की प्रचुर संभावनाओं का समुचित दोहन करने के लिए पर्याप्त पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिले। साथ ही साथ राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को सतत् एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति न्यूनतम दरों पर सुनिश्चित की जा सके।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 में आयोग को सौंपे गये, विभिन्न कार्यो का निर्वहन करने के अनुक्रम में वर्ष 2016 में भी आयोग द्वारा कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर विनियम बनाए गए तथा याचिकाओं का निराकरण किया गया। प्रतिवेदित वर्ष (2016) में आयोग द्वारा किये गए उपरोक्त कार्यों तथा अन्य कार्यों का संक्षिप्त विवरण इस प्रतिवेदन में उल्लेखित है।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 105 में उपबंधित किया गया है कि राज्य आयोग प्रतिवर्ष एक बार ऐसे प्रारूप तथा ऐसे समय जो विहित किया जावे, पिछले वर्ष की अपनी गतितिधियों के सारांश के साथ, एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर उसकी प्रतियां राज्य शासन को अग्रेषित करेगा। तदनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक प्रतिवेदन) नियम 2005 के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में आयोग की गतिविधियों का विवरण आगामी वर्ष में, आयोग द्वारा तैयार कर, राज्य शासन को प्रेषित किया जाता है। विद्युत अधिनियम की धारा 104(4) के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा संपरीक्षित वार्षिक लेखा, लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन सहित आयोग द्वारा राज्य शासन को प्रेषित किया जाता है। वार्षिक प्रतिवेदन एवं संपरीक्षित वार्षिक लेखा राज्य शासन द्वारा विधान–सभा के पटल पर रखे जाते हैं। इस प्रतिवेदन में, आयोग के वर्ष 2016 के क्रिया कलापो का संक्षिप्त विवरण, वर्ष 2015–16 का संपरीक्षित वार्षिक लेखा एवं संपरीक्षा प्रतिवेदन को समाहित किया गया है।

1.2 आयोग की स्थापना

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इलेक्ट्रीसिटी रेग्युलेटरी कमीशंस एक्ट 1998 एवं विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 82 में निहित प्रावधानों के अधीन अधिसूचना क्रमाँक 3190/S/E/2002/ दिनाँक 23/08/2002 सहपठित अधिसूचना क्रमाँक 432/R/352 दिनाँक 11/05/2004 के द्वारा किया गया। राज्य शासन के अधिसूचना क्रमांक एफ–1–7/2007/13/1, रायपुर, दिनांक 11/07/2013 के द्वारा आयोग के अध्यक्ष के पद पर श्री नारायण सिंह की नियुक्ति की गई एवं राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 1239/एफ 1–7/2007/13/1 दिनांक 22/10/2016 द्वारा श्री अरूण कुमार शर्मा को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। वर्तमान में श्री नारायण सिंह अध्यक्ष एवं श्री अरूण कुमार शर्मा सदस्य के रूप में कार्यरत हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार हैः–

श्री नारायण सिंह (अध्यक्ष)

श्री नारायण सिंह ने 15 जुलाई, 2013 को आयोग में अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। श्री सिंह ने बी.ए. (आनर्स) की उपाधि प्राप्त की। आयोग के अध्यक्ष चुने जाने के पूर्व श्री सिंह छ.ग. राज्य प्रशासनिक अकादमी में महानिदेशक थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा में 1977 बैच के म.प्र. कैडर के अधिकारी, श्री नारायण सिंह को मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ शासन में कई महत्वपूर्ण कार्यभार प्रदान किये गए। अपने 36 वर्ष से अधिक के कार्यकाल में आपने मध्यप्रदेश के साथ–साथ छत्तीसगढ़ शासन में भी महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया। साथ ही कलेक्टर तथा आयुक्त के पद पर रहते हुए अनेक उल्लेखनीय कार्य किये। आपने वन विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर सफलतापूर्वक कार्य का निर्वहन किया है। आपको ऊर्जा क्षेत्रों के वित्तीय, प्रशासनिक तथा क्रियात्मक पहलुओं की गहन समझ तथा पैनी पकड़ है।

श्री अरूण कुमार शर्मा (सदस्य)

छत्तीसगढ़ के मूल निवासी श्री अरूण कुमार शर्मा ने शासकीय अभियान्त्रिकी एवं तकनीकी महाविद्यालय, रायपुर से वर्ष 1977 में मैकेनिकल अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत भारत के सर्वोत्तम ऊर्जा संस्थान एन.टी.पी.सी. लिमिटेड में कार्यपालक प्रशिक्षु के रूप में अपनी व्यावसायिक जीवन प्रारंभ की एवं पदोन्नति प्राप्त करते हुए कार्यकारी निदेशक के पद पर पहुंचे। इस अवधि में उन्हें ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं से अवगत होने का अवसर मिला।

एन.टी.पी.सी. में अभियंता से लेकर कार्यकारी निदेशक के रूप में प्रबंधन में भागीदारी निभाते हुए उन्होंने प्रारंभ के लगभग 9 वर्ष बदरपुर थर्मल पॉवर संयंत्र में प्रचालन एवं अनुरक्षण विभाग में कार्य किया। तत्पश्चात् उन्हें 23 वर्ष नैगम आयोजना (Corporate Planning) अनुभाग में कार्यरत रहते हुए शीर्ष प्रबंधन के साथ मिलकर निगम के प्रबंधन में रणनीतिक स्तर (Strategic level) पर कार्य करने का बहुमूल्य अवसर एवं अनुभव प्राप्त हुआ। इस कार्यावधि में विभिन्न स्टेक होल्डर्स

जैसे कि संसदीय समितियां, संबद्ध मंत्रालय, प्रशासनिक संस्थानों (सीईए, योजना आयोग इत्यादि) एवं वित्तीय संस्थानों जैसे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमैंट बैंक आदि के साथ अति निकटता से कार्य करने का भी अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ।

अंतिम 6 वर्षों में वे एन.टी.पी.सी. की परामर्श सेवाओं के प्रभारी के रूप में विभिन्न ऊर्जा संस्थानों में प्रचालन, अनुरक्षण, इन्जीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन इत्यादि क्षेत्रों में सेवाएं दे कर उनके प्रबंधन एवं दक्षता में सुधार के लिए निरंतर कार्यरत रहे। अपने 38 वर्षो के कार्य काल को पूरा कर वे जून 2016 में एन.टी.पी.सी. से कार्यकारी निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुये। दिनांक 29 अक्टूबर 2016 से श्री शर्मा छ.ग. राज्य विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के पद पर कार्यरत् है।

1.3 आयोग का कार्यालय

आयोग का कार्यालय सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर में स्थित है। कार्यालय के भवन निर्माण का कार्य छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा किया गया है। आयोग के भवन के निर्माण में सी.डी.एम. (क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म) के सिद्धांत को अपनाया गया है। भवन में क्रेडा के माध्यम से 80 किलोवॉट क्षमता के सौर–ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। इससे उत्पादित विद्युत, कार्यालयीन आवश्यकताओं हेतु उपयोग में लाई जाती है तथा अतिशेष विद्युत ग्रिड में डाली जाती है।

आयोग कार्यालय भवन जो ऊर्जा दक्ष एवं सोलर पैसिव टेक्नोलॉजी के आधार पर निर्मित है को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बी.ई.ई.), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा ऊर्जा दक्षता की दृष्टि से पांच सितारा रेटेड भवन घोषित किया है। यह भवन राज्य का ऐसा प्रथम भवन है जिसे बी.ई.ई. द्वारा पांच सितारा रेटिंग दी गई है।

यह भवन 2400 वर्ग मीटर प्लॉट पर निर्मित है, इसमें 03 तल हैं, कुल निर्मित क्षेत्रफल 2072 वर्ग मीटर है।

————00000————

खण्ड–2
मानव संसाधन एवं उनका विकास

2.1 आयोग का संगठनात्मक चार्ट :–

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 91 के अंतर्गत राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त कर आयोग के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से आयोग में विभिन्न पदों का सृजन किया गया। वर्तमान में आयोग हेतु कुल 68 पद स्वीकृत हैं जिसमें 15 प्रथम श्रेणी, 8 द्वितीय श्रेणी, 33 तृतीय श्रेणी एवं 12 चतुर्थ श्रेणी के पद हैं। स्वीकृत पद संरचना परिशिष्ठ क्र 1 में उल्लेखित है।

2.2 आयोग में वर्ष 2016 में सेवारत् अधिकारी :–

सृजित पदों को भरने के उद्देश्य से आयोग में अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति तथा संविदा नियुक्ति द्वारा की गई। वर्ष 2016 में आयोग में निम्नलिखित अधिकारी सेवारत रहे :–

क्रमाँक	नाम	वर्तमान पद	नियुक्ति दिनाँक
1.	श्री पी.एन. सिंह	सचिव	06.03.2012
2.	श्री एस.पी. शुक्ला	निदेशक (इंजीनियरिंग)	21.10.2004
3.	श्री विवेक गनोदवाले	वरिष्ठ विधि अधिकारी	10.12.2004
4.	श्री सुरोबिन राय	वित्तीय विश्लेषक	06.10.2009
5.	श्री सुरेन्द्र सिंह	संयुक्त निदेशक (टैरिफ)	11.08.2010
6.	श्री कमलेश दिल्लीवार	संयुक्त निदेशक (इंजीनियरिंग)	11.08.2010
7.	श्रीमती आशा व्ही. देव	उप–सचिव	23.06.2014 प्रतिनियुक्ति पर
8.	श्री रमेश कुमार प्रसाद	उप निदेशक (टैरिफ)	01.08.2016 प्रतिनियुक्ति पर

आयोग के अधिकारियों का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार हैंः–

1. **श्री पी.एन. सिंह, सचिवः–** जबलपुर विश्वविद्यालय से बी.ई. (इलेक्ट्रिकल) की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत श्री सिंह द्वारा 1977 से मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में सहायक अभियंता के रूप में अपनी सेवा प्रारंभ की। इस दौरान आपने 1981 में उच्च दाब वैद्युतिकी में मास्टर्स उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1986 में आपने पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय से प्रबंधन में स्नाकोत्तर डिप्लोमा भी प्राप्त किया। विशद तकनीकी ज्ञान एवं गहन अनुभव के साथ आपने मध्यप्रदेश / छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल में कार्यपालन अभियंता, अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहकर योजना–कार्य, संचालन एवं संधारण और अति उच्चदाब एवं ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों को नई दिशाएं दी। विद्युत व्यवस्था के क्षेत्र में नीतिगत विशेषज्ञता, अपने प्रबल प्रस्तुतीकरण एवं कुशल नेतृत्व क्षमता के कारण आपको राष्ट्रीय स्तर पर विद्युत विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। अक्टूबर 2010 में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण क. मर्या. से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् दिनांक 06 / 03 / 2012 से आयोग में सचिव के पद पर कार्यरत् हैं।

2. **श्री एस.पी. शुक्ला, निदेशक (इंजीनियरिंग)** :— शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रायपुर से बी. ई. (मेकेनिकल) की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत श्री शुक्ला ने 11 वर्षों तक विद्युत संयंत्रों के कमीशनिंग, प्रचालन, अनुरक्षण, ताप—विद्युत संयंत्रों के नवीनीकरण व आधुनिकीकरण का कार्य किया। दिनांक 21/10/2004 से आयोग में उप निदेशक (इंजी.) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात क्रमशः दिनांक 29/10/2009 को संयुक्त निदेशक (इंजी.) एवं दिनांक 01/10/2014 को निदेशक (इंजी.) के पद पर पदोन्नत हुए।

3. **श्री विवेक गनोदवाले, वरिष्ठ विधि अधिकारी** :— बी. कॉम, एल.एल.बी., की उपाधि ग्रहण करने के पश्चात् आप मई 1988 से मुख्यतः जिला न्यायालय रायपुर में सफल अभिभाषक रहे। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम तथा औद्योगिक न्यायालयों हेतु गठित अधिवक्ताओं के पैनल व रायपुर विकास प्राधिकरण के अधिवक्ताओं के पैनल में भी रह चुके हैं। आप वर्ष 1997 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन गठित विशेष न्यायालय हेतु मध्यप्रदेश शासन की ओर से अभियोजन हेतु विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त किये गये। छत्तीसगढ़ शासन ने जुलाई 2004 में आपको इसी विशेष न्यायालय हेतु विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया था। आयोग में पद भार ग्रहण करने के पूर्व तक आप विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्यरत् रहे। दिनांक 10/12/2004 से आयोग में विधि अधिकारी के पद पर कार्यरत् हैं। दिनांक 27/06/2013 को वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर पदोन्नत हुए।

4. **श्री सुरोबीन राय, वित्तीय विश्लेषक—** बी.एस.सी. (गणित), एफ.आई.सी.डब्लू.ए., लागत लेखांकन एवं प्रबंधन, लेखांकन, बजट, लेखा—संपरीक्षण, वित्त एवं कोषालय प्रबंधन, करारोपण, वित्तीय विश्लेषण के क्षेत्र में आयोग की सेवा में आने के पूर्व 18 वर्ष का अनुभव है। श्री राय आयोग में वित्तीय विश्लेषक के रूप में दिनांक 06/10/2009 से कार्यरत् हैं।

5. **श्री सुरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक (टैरिफ)**:— शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रायपुर से बी.ई. (इलेक्ट्रिकल) की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात आपने लगभग 1 वर्ष आटोमोबाईल उद्योग तथा लगभग 12 वर्ष तक जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कार्य किया। दिनांक 11/08/2010 से आयोग में उप निदेशक (टैरिफ) के पद पर कार्यरत् हैं। दिनांक 11/08/2015 को संयुक्त निदेशक (टैरिफ) के पद पर पदोन्नत हुए।

6. **श्री कमलेश दिल्लीवार, संयुक्त निदेशक (इंजीनियरिंग)**:— 1995 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत पॉवर प्लांट एवं कंसलटेंसी संस्थाओं में लगभग 3 वर्ष कार्य करने के बाद सन् 2000 में ऊर्जा प्रबंधन में स्नाकोत्तर उपाधि प्राप्त की। ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न कंसलटेंसी संगठनों में रहते हुए उन्होंने विदेशों में भी (मध्यपूर्व, सुदूरपूर्व एवं अफ्रीकी राष्ट्रों में भी) अपनी सेवाएं दी। पिछले दस वर्षों में उन्होंने विद्युत अधिनियम 2003 एवं ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में सक्रिय रूप से कार्य करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विभिन्न विद्युत मण्डलों, कंपनियों एवं विभिन्न राज्यों के नियामक आयोगों, निजी श्रेत्र के उद्योगों, आदि में कंसलटेंसी

प्रदान की। श्री दिल्लीवार ने BEE (MoP) से ऊर्जा संपरीक्षक का प्रमाण पत्र भी 2004 में प्राप्त किया है। दिनांक 11/08/2010 से आयोग में उप निदेशक (इंजी.) के पद पर कार्यरत् हैं। दिनांक 11/08/2015 को संयुक्त निदेशक (इंजी.) के पद पर पदोन्नत हुए।

7. **श्रीमति आशा व्ही. देव, उप सचिवः–** केरला युनिवर्सिटी से बी.टेक (इलेक्ट्रीकल) की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् श्रीमती आशा द्वारा वर्ष 1998 में केरला स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड (केएसईबी.) में सहायक अभियंता के रूप में अपनी सेवा प्रारंभ की। इस दौरान आपने केरला लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई एक्ट, इलेक्ट्रीसिटी एक्ट एंड रूल्स, स्टोर एकाउंट्स व टैरिफ एंड रेव्हेन्यु एकाउंटिंग रूल्स, केरला फाईनेंसियल कोड एवं केरला बजट मैनुअल एवं पी.डब्ल्यू. एकाउंट कोड की विभिन्न परिक्षाएं उत्तीर्ण की साथ ही आपको विद्युत उपयोगिता पर कार्य करने का पर्याप्त अनुभव है। वर्ष 2006 में छ.ग.रा.वि.वि.कं.मर्या. रायपुर में प्रतिनियुक्ति पर सहायक अभियंता एवं वर्ष 2010 में कार्यपालन अभियंता रहीं। जून 2012 में पुनः केएसईबी. में सहायक कार्यपालन अभियंता के पद पर सेवाएं दी। वर्तमान में आप प्रतिनियुक्ति पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में उप सचिव के पद पर कार्यरत हैं।

8. **श्री रमेश कुमार प्रसाद, उप निदेशक (टैरिफ):–** शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भागलपुर (बिहार) से बी.एस.सी. (इंजीनियरिंग–इलेक्ट्रीकल) की उपाधि 2002 में प्राप्त करने के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल में स्नातक प्रशिक्षु के रूप में 25.06.2004 से अपनी सेवायें प्रारंभ की तथा लगभग 12 वर्ष के अनुभव के पश्चात वर्तमान में आप प्रतिनियुक्ति पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में उप निदेशक (टैरिफ) के पद पर कार्यरत हैं।

2.3 आयोग के अधिकारियों की कार्यकुशलता के विकास हेतु प्रशिक्षण/कार्यशाला/संगोष्ठी/सम्मेलन कार्यक्रमः–

विगत वर्षों की भांति वर्ष 2016 में भी आयोग द्वारा अपने अधिकारियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित संस्थानों में विद्युत क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं, तथा टैरिफ के विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजा गया, जिससे उनकी कार्यकुशलता में आधुनिकतम – आवश्यकतानुरूप अभिवृद्दि हो सके ।

<u>विवरण</u>

क्र.	अधिकारी का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम/विषय	प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था का नाम व स्थान	अवधि
2	श्री पी.एन. सिंह, सचिव	10वां केपेसिटी बिल्डिंग/ ट्रेनिंग प्रोग्राम,	फोरम ऑफ रेग्यूलेटर्स द्वारा आई. आई.टी. कानपुर के सहयोग से नोएडा एवं सिंगापुर में आयोजित	3 दिन (13 से 15 अक्टूबर 2016) एवं 3 दिन (17 से 19 अक्टूबर 2016)
2	श्री कमलेश दिल्लीवार,, संयुक्त निदेशक (इंजीनियरिंग)	पॉवर पर्चेस एग्रीमेंट	सेंट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, हैदराबाद	4 दिन (05 से 08 जनवरी 2016)

खण्ड–3

आयोग के कृत्य, कार्यवाहियां, शक्तियां एवं उसकी कार्यप्रणाली

3.1 **आयोग के कृत्य** – (1) विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करता है :–

(i) राज्य के भीतर विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण और संचरण (व्हीलिंग) के लिये टैरिफ का निर्धारण।

(ii) वितरण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा राज्य में प्रदाय के लिये जिस दर से विद्युत का क्रय किसी उत्पादक कंपनी, अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ट्रेडर, अथवा अन्य स्त्रोतों से किया जाना है, उस प्रक्रिया का एवं दर का विनियमन करना।

(iii) राज्य के भीतर विद्युत के पारेषण तथा संचरण को सुगम बनाने के लिये आवश्यक उपाय करना।

(iv) राज्य में पारेषण, वितरण और विद्युत व्यापार (ट्रेडिंग) के लिये अनुज्ञप्ति प्रदाय करना।

(v) विद्युत के सह उत्पादन एवं नवीकरणीय स्रोतो से उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रिड से संयोज्यता के समुचित उपाय विनिर्दिष्ट करना तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारक को उसके क्षेत्र में खपत का एक प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से क्रय हेतु निर्धारित करना।

(vi) अनुज्ञप्तिधारी और उत्पादन कम्पनियों के बीच विवादों का निराकरण करना और माध्यस्थ्म के लिये किसी विवाद को निर्दिष्ट करना।

(vii) अधिनियम के उद्‌देश्यों हेतु शुल्क नियत करना।

(viii) धारा 79 के अधीन विनिर्दिष्ट केन्द्रीय ग्रिड कोड से सुसंगत राज्य ग्रिड कोड का विनियमन।

(ix) लायसेन्सी के द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरन्तरता और विश्वसनीयता के बारे में मानकों का निर्धारण करना तथा प्रभावशील करना ।

(x) यदि आवश्यक समझा जाए तो राज्य के भीतर विद्युत के व्यापार में ट्रेडिंग मार्जिन तय करना ।

(xi) अधिनियम के अधीन ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो आयोग को सौंपे जाए।

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त आयोग राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 86(2) के अंतर्गत निम्नलिखित मामलों पर परामर्श दे सकता है:–

(i) विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा, दक्षता, और मितव्ययिता को प्रोत्साहन देना;

(ii) विद्युत उद्योग में पूँजी निवेश को प्रोत्साहन देना;

(iii) राज्य में विद्युत मण्डल का पुनर्गठन और पुनः संरचना एवं

(iv) विद्युत उत्पादन, पारेषण वितरण और व्यापार सम्बन्धी मामले या कोई अन्य मामला जो शासन द्वारा राज्य आयोग को विनिर्दिष्ट किया गया हो ।

अधिनियम में आयोग को अपनी शक्तियों के प्रयोग में तथा कार्य के निर्वहन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश है।

आयोग अपने कार्य के निर्वहन में राष्ट्रीय विद्युत नीति, और विद्युत अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्रकाशित टैरिफ नीति से मार्गदर्शन लेता है।

3.2 आयोग की कार्यप्रणाली

आयोग की कार्यप्रणाली अर्धन्यायिक प्रकृति की है। आयोग को अपने कार्य के निष्पादन करने के संबंध में विनियम बनाने का भी अधिकार है। इस हेतु वर्तमान में ''कार्य संचालन विनियम 2009'' प्रभावी है। इस विनियम में आयोग की कार्य प्रणाली विस्तृत रूप में दी गई है। इसके मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैः–

- कोई भी व्यक्ति आयोग के समक्ष निर्धारित रीति से आवेदन/याचिका प्रस्तुत कर सकता है ।
- याचिका शुल्क अनुज्ञप्तिधारी या किसी कंपनी या व्यक्ति के मामले में प्रकरण की विषयवस्तु के अनुसार अलग–अलग निर्धारित हैं ।
- प्रत्येक व्यक्ति, जिसे जाँच या याचिका के बारे में सूचना–पत्र जारी किया गया है, वह अपना उत्तर समस्त प्रतिलिपियों सहित निर्धारित समय–सीमा में आयोग के सामने प्रस्तुत करेगा, ताकि मामले की सही जाँच समुचित रूप से की जा सके ।
- आयोग के सामने संबंधित व्यक्ति उपस्थित हो सकेगा या कार्यवाही एवं पैरवी करने हेतु अधिकृत व्यक्ति नियुक्त कर सकता है ।
- आयोग निर्धारित मामले की सुनवाई आवेदन के क्रमानुसार निश्चित स्थान, दिनाँक व समय निर्धारण कर अधिनियम के तहत् निराकरण करेगा।
- आयोग किसी भी कार्यवाही, सुनवाई या किसी मामले के दौरान कोई भी अंतरिम आदेश, जो वह उचित समझे, जारी कर सकता है ।
- आयोग अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले विवादों का हल, विवाद के पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार द्वारा आवेदन किये जाने पर शुरू कर सकेगा तथा प्रकरण माध्यस्थम को निर्दिष्ट कर सकेगा।
- आयोग आवश्यक जानकारी एकत्र करने के लिये जाँच, अनुसंधान, प्रवेश, खोज एवं जब्ती के आदेश कर सकेगा ।
- यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी, अनुज्ञप्ति के किसी नियम, शर्त या अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करता है तो आयोग विद्युत अधिनियम की धारा 128 के तहत् उनके विरूद्ध लिखित आदेश देकर उसके काम–काज की जाँच करा सकता है ।

- यदि आयोग के किसी नियम–कानून का उल्लंघन होता है तो वह पक्षकार की शिकायत के आधार पर प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति प्रदान करवाने की कार्यवाही कर सकता है।
- इसके साथ प्रतिवादी निर्धारित तिथि में सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो आयोग ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में अपने अनुसार एक पक्षीय कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा। नियम/कानून या प्रावधानों को लागू करने में आयोग यदि कोई कठिनाई महसूस करता है तो वह सामान्य या विशेष आदेश उस कठिनाई को दूर करने के लिए जारी कर सकता है ,जो विद्युत अधिनियम के सम्मत हो।
- उपर्युक्त मामलों में उपभोक्ताओं के पक्ष में प्रस्तुत करने के लिए किसी भी व्यक्ति को आयोग द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है।

3.3 आयोग की शक्तियाँ

(1) विद्युत अधिनियम की धारा 94 के अनुसार आयोग को इस अधिनियम के अधीन किसी जाँच या कार्यवाही के प्रयोजनों के लिये वही शक्तियाँ प्राप्त है, जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (5/1908) के अधीन निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में निहित की गई हैं, नामतः–

(i) किसी व्यक्ति की उपस्थिति हासिल करने के लिये समन करना और उसका शपथ पर परीक्षण करना;

(ii) किसी (विलेख) दस्तावेज/साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जाने योग्य अन्य संदर्भित सामग्री की खोज और उसकी प्रस्तुति के लिये या;

(iii) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना/ग्रहण करना;

(iv) किसी लोक अभिलेख को तलब करना ।

(v) साक्षियों के परीक्षण के लिये निर्देश जारी करना;

(vi) अपने विनिश्चयों, निर्देशों और आदेशों का पुनर्विलोकन करना;

(vii) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाये।

(2) आयोग को किसी कार्यवाही में, सुनवाई करते समय या कोई मामला जो आयोग के समक्ष हो और जैसा आयोग समुचित समझे ऐसा अन्तरिम आदेश पारित करने की शक्तियाँ है।

(3) आयोग, उपभोक्ताओं के हित का अपने समक्ष कार्यवाहियों में प्रतिनिधित्व करने के लिये किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

3.4 आयोग के समक्ष कार्यवाहियाँ

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 95 के अनुसार समस्त कार्यवाहियाँ आयोग के समक्ष भारतीय दण्ड संहिता (45/1860) की धारा 193 तथा 228 के आशयों के भीतर न्यायिक कार्यवाहियाँ समझी जाएगी और आयोग दण्ड प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1973 (2/1974)) की धारा 345 तथा 346 के प्रयोजनों के लिये सिविल कोर्ट समझा जायेगा ।

————00000————

खण्ड–4
राज्य सलाहकार समिति

4.1 राज्य सलाहकार समिति

विद्युत अधिनियम की धारा 88 में राज्य सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान है। राज्य सलाहकार समिति निम्नलिखित विषयों पर आयोग को परामर्श दे सकेगीः–

(1) मुख्य नीतिगत मुद्दों पर;

(2) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता एवं विस्तार से संबंधित विषयों पर;

(3) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति की शर्तो एवं अपेक्षाओं के अनुपालन पर;

(4) उपभोक्ता हित संरक्षण पर; एवं

(5) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय एवं कार्य निष्पादन के मानकों पर।

सलाहकार समिति का प्रथम गठन आयोग की अधिसूचना दिनाँक 25.02.2005 के द्वारा किया गया था। वर्तमान में राज्य सलाहकार समिति में विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, श्रम, उपभोक्ता, गैर–सरकारी संगठनों और विद्युत सेक्टर में शैक्षणिक तथा अनुसंधान निकायों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिये 18 सदस्य नामित हैं।

आयोग के अध्यक्ष समिति के पदेन अध्यक्ष, आयोग के सदस्य एवं प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग समिति के पदेन सदस्य हैं। राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग के सचिव इस समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। आयोग के सचिव, समिति के पदेन सचिव हैं।

4.2 राज्य सलाहकार समिति की बैठकें :–

वर्ष 2016 में राज्य सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड एवं राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु सत्यापन (Trueup) एवं वर्ष 2016–17 से वर्ष 2020–2021 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं विद्युत दरों के निर्धारण हेतु प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर, वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक के लिए राज्य विद्युत कंपनियों द्वारा पूंजीगत निवेश योजनाओं के लिए प्रस्तुत याचिकाओं पर एवं केन्द्र सरकार की ''उदय योजना'' (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना) के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। वर्ष के दौरान आयोग द्वारा जारी किए गए विनियमों के प्रारूप पर भी यथासमय समिति सदस्यों के विचार प्राप्त किए गए।

–––000–––

खण्ड–5
वर्ष 2016 में आयोग द्वारा किये गये विभिन्न कार्यों का विवरण

5.1 आयोग द्वारा विनियमों का जारी करना

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने तथा आयोग को अधिनियम में सौपें गये कृत्यों को पूरा करने के लिए आयोग को विभिन्न धाराओं से सुसंगत विनियम बनाने की शक्ति दी गई है। इस प्रकार विनियम का बनाना आयोग का एक प्रमुख कर्तव्य है। उपरोक्त विनियम बनाने के पूर्व प्रारूप विनियमों को प्रकाशित किया जाता है एवं सुझाव व आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती है। समस्त सुझावों, आपत्तियों पर सारगर्भित विचारोपरांत आयोग द्वारा विनियम जारी किया जाता है।

उपरोक्तानुसार आयोग की स्थापना वर्ष 2004 में होते ही वर्ष 2004 से 2015 तक निरंतर विनियम तैयार किए गए। यह प्रक्रिया वर्ष 2016 में भी अनवरत जारी रही। दिनाँक 31.12.2016 की स्थिति में प्रचलित विनियमों की सूची निम्नानुसार है :–

(I) वर्ष 2016 के पूर्व अधिसूचित विनियमः–

क्र.	विनियम / संहिता का नाम	राजपत्र में प्रकाशन की तिथि
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्ति) विनियम, 2004	07.12.2004
2.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्ति) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2008	07.05.2008
3.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) विनियम, 2004	18.10.2004
4.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिए उत्पादन कम्पनी और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिये जाने वाले विवरण एवं आवेदन देने की रीति) विनियम, 2004	31.05.2005
5.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ निर्धारण हेतु शर्तें एवं निबन्धन) विनियम, 2006	01.03.2006
6.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) विनियम–2005	14.07.2006
7.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण कार्यान्वयन हेतु मानक) विनियम, 2006	14.07.2006
8.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सूचना की तामीली व प्रकाशन) विनियम, 2006	05.01.2007

9.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपारंपरिक ऊर्जा–स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ की अवधारणा हेतु निबंधन एवं शर्तें तथा संबंधित विषय–वस्तु) विनियम, 2008	22.05.2008
10.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं प्रभार) विनियम, 2009	15.07.2009
11.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2009	20.07.2009
12.	सी.एस.ई.आर.सी. (टर्म्स एण्ड कॅन्डिशन फॉर डिटरमिनेशन ऑफ टैरिफ एकॉर्डिंग टू मल्टी–ईयर टैरिफ प्रिंसिपल) रेग्युलेशन, 2010	09.01.2010
13.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केंद्र के शुल्क एवं प्रभार तथा अन्य संबंधित विषयक) विनियम 2010	26.10.2010
14.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (संयोजकता और राज्यांतरिक सुगम्यता) विनियम, 2011	04.03.2011
15.	छत्तीसगढ़ विद्युत नियमाक आयोग (संयोजकता तथा राज्यांतरिक मुक्त सुगम्यता) प्रथम संशोधन–विनियम, 2012	17.12.2012
16.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन), विनियम, 2011	04.03.2011
17.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2013	21.05.2013
18.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुपालन की संवीक्षा) विनियम 2011	01.06.2011
19.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) विनियम, 2011	04.03.2011
20.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता 2011	28.11.2011
21.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड संहिता 2011	30.12.2011
22.	छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्तें और संबंधित विषयवस्तु) विनियम, 2012.	27.06.2012
23.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण की निबंधन एवं शर्तें तथा दरों और प्रभारों से अनुमानित राजस्व के निर्धारण हेतु पद्धति और प्रक्रिया) विनियम, 2012।	06.10.2012

24.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र शुल्क एवं प्रभार तथा अन्य संबंधित विषयक) विनियम 2012	29.12.2012
25.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) विनियम 2013	15.02.2013
26.	छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्तें और संबंधित विषयवस्तु)(प्रथम संशोधन) विनियम, 2013.	14.03.2013
27.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन), विनियम, 2013	18.09.2013
28.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के छतोपरि (रूफटाप) पी.व्ही. सौर ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत उपार्जन हेतु दरों का निर्धारण) विनियम, 2013	07.10.2013
29.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन–प्रथम संशोधन) विनियम 2013	10.01.2014
30.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (प्रथम संशोधन), 2013	01.01.2014
31.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2015	09.09.2015

(II) वर्ष 2016 में अधिसूचित विनियमः–

क्र.	विनियम / संहिता का नाम	राजपत्र में प्रकाशन की तिथि
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्ते तथा संबंधित विषयवस्तु) विनियम, 2016	27.06.2016
2.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (मांग पक्ष प्रबंधन) विनियम, 2016	01.09.2016
3.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्ते और संबंधित विषयवस्तु) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2016	21.03.2016
4.	CSERC (Intra-state Availability Based Tariff and Deviation Settlement Mechanism) Regulations, 2016	07.11.2016

5.2 वर्ष 2016 में आयोग द्वारा जारी किये महत्वपूर्ण आदेश

1. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेनेरिक टैरिफ की अवधारण याचिका के शर्त एवं निबंधन) विनियम 2016 के आधार पर जेनेरिक टैरिफ की निर्धारण।
2. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित द्वारा बकाया राशि की वसूली के लिए प्रस्तावित प्रोत्साहन योजना का अनुमोदन।
3. वर्ष 2016–17 से वर्ष 2020–21 हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन, पारेषण, भार प्रेषण केन्द्र एवं वितरण कंपनी के लिए पूंजीगत निवेश योजना का अनुमोदन।
4. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन, पारेषण, भार प्रेषण केन्द्र एवं वितरण कंपनी के लिए नियंत्रण अवधि वर्ष 2016–17 से वर्ष 2020–21 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता अनुमोदन तथा वर्ष 2016–17 के लिए विद्युत वितरण कंपनी हेतु रिटेल टैरिफ का निर्धारण।
5. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण कंपनियों के वित्तीय वर्ष 2014–15 के लेखो का अन्तिम सत्यापन।
6. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीनकरणीय ऊर्जा स्त्रोंतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्तें और संबंधित विषयवस्तु) विनियम, 2012 के विनियम 8 एवं समय–समय पर जारी संशोधनों के अंतर्गत वर्ष 2015–16 में आने वाले संयंत्रों के लिए सामान्य रूप से अधिमान्य विद्युत दर का निर्धारण। वर्ष 2005–06 में उत्पादन शुरू करने वाले बायोमास आधारित पावर प्लांट के लिए वर्ष 2015–16 हेतु नियत प्रभार का निर्धारण।
7. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्तें तथा संबंधित विषयवस्तु) विनियम, 2016 के अनुरूप वर्ष 2016–17 में अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन शुरू करने वाले पॉवर प्लांट हेतु सामान्य रूप से अधिमान्य विद्युत दर का निर्धारण।
8. वर्ष 2016–17 में उत्पादन शुरू करने वाले पवन, सौर और छोटे जल विद्युत संयंत्रो हेतु सामान्य रूप से अधिमान्य विद्युत दर का निर्धारण।
9. आयोग द्वारा समानान्तर संचालन प्रभार में केप्टिव भार के निर्धारण हेतु नयी विधि की रचना की गयी।
10. सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों को 132 के.व्ही में अनुबंध मांग (कान्ट्रैक्ट डिमाण्ड) 4 एम.व्ही.ए. से कम रखने हेतु आदेश पारित किया गया साथ ही सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों को 5 वर्ष तक स्टार्टअप पावर लेने के लिए मांग प्रभार में छूट प्रदान की गयी।
11. नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संबंधी अनिवार्यता लागू करने के संबंध में राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को वित्तीय वर्ष 2013–14 से संबंधी दायित्वों का निर्वहन के अनुपालन हेतु विभिन्न कंपनियों को आदेश दिया गया।
12. राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा उत्पादन संयंत्रों को दिये गये, बेकिंग डाउन (Backing down) निर्देश उनके द्वारा न मानने से संबंधित याचिकाओं का निराकरण किया गया।
13. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के बीच विद्युत क्रय करार (Power Purchase Agreement) का अनुमोदन।
14. विद्युत प्रदाय संहिता 2011 के अन्तर्गत विविध और सामान्य प्रभार (Charges) का निर्धारण किया गया जिसमें विद्युत उपभोक्ताओं को नये कनेक्शन लेने में हो रही परेशानियों का निराकरण किया गया।

5.3 वर्ष 2016–17 हेतु छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी के लिए जारी विद्युत दर आदेश के मुख्य बिंदुः–

- वर्तमान आदेश के द्वारा विद्युत दर में औसत वृद्धि दर 12 प्रतिशत् की गई है।
- प्रति वर्ष विद्युत दर व्ही0सी0ए0 की क्लॉज को अलग दिखाई जाती थी, इस वर्ष नये टेरिफ में पुराने व्ही0सी0ए0 को जोड़ दिया गया हैं।
- प्रचलित औसत विद्युत दर व्ही0सी0ए0 सहित रूपये 5.37 थी, उसे अब रूपये 6.04 कर दी गई हैं।
- कृषि की विद्युत दरें लागत की केवल 75 पतिशत् हैं।
- यदि किसी किसान के पास उसी के नाम पर एक से अधिक पम्प हैं तो अतिरिक्त पम्पों पर ऊर्जा प्रभार में 10 प्रतिशत् की राहत दी जाएगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विद्युत कनेक्शनों को ऊर्जा प्रभार 5 प्रतिशत् की छूट दी जाएगी।
- आई0टी0 (सूचना प्रौद्योगिकी) और सौर ऊर्जा उपकरण बनाने वाले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इनको विद्युत लागत का 75 प्रतिशत् प्रति प्रतिशत् के हिसाब से टेरिफ बनाया गया हैं।
- रेलवे, छ0रा0 विद्युत वितरण कम्पनी का एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता हैं, अतः उसको बढ़ावा देने के लिए यदि वे कोई नये कनेक्शन लेते हैं तो नये कनेक्शन पर आगामी 5 सालों के लिए 10 प्रतिशत् ऊर्जा प्रभार में छूट दी जाएगी।

5.4 फोरम ऑफ रेग्युलेटर्स की 57वीं बैठक :–

संविधान के अन्तर्गत ''विद्युत'' समवर्ती सूची का विषय है। विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग एवं राज्यों के स्तर पर राज्य विद्युत नियामक आयोगों का गठन किया गया है है। चूंकि विद्युत व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों का प्रभाव सभी राज्यों पर होता है अतः समस्त विद्युत नियामक आयोगों में समन्वय व सामंजस्य की दृष्टि से केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के अधीन, विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अन्तर्गत फोरम ऑफ रेग्युलेटर्स की स्थापना की गयी है, ताकि विद्युत क्षेत्र से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर देश भर में नियमन में एकरूपता रहे। देश में विद्युत क्षेत्र के विकास में इस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस फोरम के अध्यक्ष केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष एवं सभी राज्यों के विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष इसके सदस्य है। जिसकी बैठक बारी–बारी से विभिन्न राज्यों में आयोजित की जाती है। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा फोरम ऑफ रेग्युलेटर्स (एफ.ओ.आर.) की 57वीं बैठक दिनांक 16 दिसम्बर 2016 को रायपुर में आयोजित की गयी। बैठक में केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग एवं 22 राज्यों के विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ राज्य में तीसरी बार आयोजित एफ.ओ.आर. की इस बैठक में मुख्यतः राज्यों के लिए डेवियेशन सेटलमेंट मेकेनिज़्म से संबंधित आदर्श विनियमो पर तकनीकी समिति द्वरा प्रस्तुतिकरण, एफ.ओ.आर. के द्वारा प्रतिस्पर्धी टैरिफ और लागत आधारित टैरिफ के तुलनात्मक अध्ययन का समालोचन करते हुए, प्रस्तुतिकरण के अतिरिक्त विद्युत व्यवस्था के संबंध में दूरगामी एवं व्यापक मुद्दों पर गहन चर्चा हुई।

5.5 न्यायिक कार्य : याचिकाओं का निराकरण

इस वर्ष अर्थात 2016 के दौरान आयोग ने कुल 67 मामले पंजीबद्ध किये, जिसमें से आयोग ने स्वयं संज्ञान लेकर 13 मामले पंजीबद्ध किये हैं तथा विभिन्न पक्षकारों ने विभिन्न मामलों के कुल 54 प्रकरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये। उक्त प्रकरणों में से कुल 40 का निपटारा आयोग द्वारा वर्ष 2016 में किया गया। 01.01.2016 को, पूर्व वर्षो के 85 प्रकरण लंबित थे, जिसमें से 71 प्रकरणों का निराकरण वर्ष 2016 में किया गया। इस तरह वर्ष 2016 में कुल 111 प्रकरणों का निराकरण किया गया है।

उपरोक्त विवरण निम्नांकित सारणी द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है ।

याचिकाओं का निराकरण			
01—01—2016 की स्थिति में विचाराधीन	वर्ष 2016 में पंजीकृत	वर्ष 2016 में निराकृत	01—01—2017 की स्थिति में विचाराधीन
85	67	111	41

5.5 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापनाः—

आयोग के निर्देशानुसार राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा राज्य में, रायपुर एवं बिलासपुर में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम स्थापित है, वर्ष 2016 में उपभोक्ता शिकायतों के 178 प्रकरण बिलासपुर फोरम एवं 74 प्रकरण रायपुर फोरम में दर्ज किये गये तथा 162 प्रकरण बिलासपुर एवं 69 प्रकरण रायपुर फोरम में निराकृत किये गये जिसमें पूर्व में पंजीबद्ध परंतु इस वर्ष विचाराधीन प्रकरण भी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भिलाई एवं जिदंल औद्योगिक पार्क में कार्यरत् वितरण अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा एक—एक शिकायत निवारण फोरम स्थापित किया गया है।

इसके अलावा आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 42 (6) के प्रावधान के अनुसार विद्युत लोकपाल की नियुक्ति भी की है। फोरम के आदेश से संतुष्ट न होने पर विद्युत उपभोक्ता द्वारा विद्युत लोकपाल के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इस वर्ष विद्युत लोकपाल कार्यालय में प्रस्तुत प्रकरणों की संख्या 24 रही। वर्ष 2016 में कुल 17 प्रकरणों का निराकरण विद्युत लोकपाल द्वारा किया गया जिसमें पूर्व में पंजीबद्ध परंतु इस वर्ष विचाराधीन 02 प्रकरण सम्मिलित है। दिनांक 01/01/2017 की स्थिति में 09 प्रकरण विचाराधीन है।

5.6 विद्युत उपभोक्ताओं में जागरूकता के प्रयासः—

विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदाय करने हेतु आयोग द्वारा मानक विनियम तैयार किए गये हैं। जिनमें, निर्धारित समयावधि में सेवा में कमी पाये जाने पर उपभाक्ताओं को क्षतिपूर्ति राशि देने का प्रावधान रखा गया है। तत्संबंध में एक विज्ञापन राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आयोग के निर्देशानुसार हिन्दी में तैयार

कराया गया है जिसमें विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालयों जैसे वितरण केंद्र, उपसंभाग, संभाग वृत्त कार्यालय आदि पर लगाया गया है।

उपभोक्ताओं के अधिकारों, कार्य के मानकों/विनियमों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए दैनिक समाचार पत्रों में उपभोक्ताओं के मार्गदर्शन हेतु जानकारियां समय–समय पर प्रकाशित कराई जाती हैं, जिससे कि उपभोक्ता अपनी शिकायतों को बेहिचक विद्युत उपभोक्ता फोरम, विद्युत लोकपाल व आयोग के समक्ष रख रहे है।

परिशिष्ट–1

स.क्र.	स्वीकृत पदों का नाम	स्वीकृत पद संख्या	वेतनमान	ग्रेड–पे
	आयोग सचिवालय			
1.	सचिव	1	37400–67000	10000
2.	उप सचिव	1	15600–39100	7600
3.	उप निदेशक (उपभोक्ता पक्ष समर्थन प्रकोष्ठ)	1	15600–39100	6600
4.	सहायक संचालक (सूचना प्रौद्योगिकी एवं नियामक सूचना प्रबंधन प्रणाली)	1	15600–39100	5400
5.	अनुभाग अधिकारी	1	9300–34800	4400
	तकनीकी विभाग			
6.	निदेशक	1	37400–67000	10000
7.	संयुक्त निदेशक	1	15600–39100	7600
8.	उप निदेशक	2	15600–39100	6600
9.	सहायक संचालक	2	15600–39100	5400
	टैरिफ विभाग			
10.	निदेशक	1	37400–67000	10000
11.	संयुक्त निदेशक	1	15600–39100	7600
12.	उप निदेशक	1	15600–39100	6600
13.	सहायक संचालक	1	15600–39100	5400
	वित्त विभाग			
14.	अर्थप्रबंध सलाहकार	1	37400–67000	8700
15.	वित्तीय विश्लेषक	1	15600–39100	7600
	विधि विभाग			
16.	निदेशक	1	37400–67000	10000
17.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	15600–39100	7600
18.	विधि अधिकारी	1	15600–39100	6600
	प्रशासकीय विभाग			
19.	सहायक संचालक (लेखा)	1	15600–39100	5400
20.	निज सचिव	2	9300–34800	4400
21.	निज सहायक	6	9300–34800	4300
22.	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	1	9300–34800	4300
23.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	1	9300–34800	4200
24.	स्टेनोग्रफर	5	5200–20200	2800
25.	कम्प्यूटर सहायक	3	5200–20200	2400
26.	सहायक ग्रेड–2	4	5200–20200	2400
27.	स्टेनो टायपिस्ट	4	5200–20200	1900
28.	सहायक ग्रेड–3	5	5200–20200	1900
29.	वाहन चालक	4	5200–20200	1900
30.	भृत्य	11	4440–7440	1300
31	माली	1	4440–7440	1300
	योग	**68**		

खण्ड–6
आयोग का वित्त एवं लेखा विवरण वर्ष 2015–16

6.1 आयोग की निधि

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 103 में राज्य शासन द्वारा एक निधि की स्थापना करने का प्रावधान है, जिसे राज्य विद्युत नियामक आयोग निधि के नाम से जाना जाता है तथा जिसमें राज्य शासन द्वारा आयोग हेतु आबंटित अनुदान राशि, ऋण एवं आयोग द्वारा प्राप्त समस्त वैधानिक शुल्क आदि को शामिल किया जाता है।

इस निधि का उपयोग ''छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (निधि) नियम, 2007 जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित होकर दिनांक–18 मई 2007 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है, में निहित प्रावधानों के तहत किया जाता है।

6.2 आयोग के लेखाओं, बजट एवं लेखा संपरीक्षा नियम

आयोग के लेखाओं का संधारण, बजट की प्रस्तुति एवं लेखा संपरीक्षा(ऑडिट) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित नियम जिनका प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 06 जुलाई 2007 को ''छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक लेखा, संपरीक्षा एवं बजट) नियम 2007 के नाम प्रकाशित हो चुका है, के द्वारा संचालित होते है। उक्त नियम के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के अंदर आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक लेखा विवरण संपरीक्षा हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य संस्था को लेखा संपरीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाना है। आयोग के वार्षिक लेखा विवरण को आयोग के अध्यक्ष, वित्तीय मामलों के एक सदस्य एवं सचिव द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। उक्त नियम में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत आयोग द्वारा प्रतिवर्ष सितंबर माह के अंत तक वर्तमान वित्तीय वर्ष का पुनरीक्षित बजट अनुमान एवं आने वाले वर्ष का संभावित बजट अनुमान राज्य शासन को प्रस्तुत किया जाना है। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2015–16 तक के लेखाओं का लेखा परीक्षण महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा किया जा चुका है एवं वर्ष 2016–17 का पुनरीक्षित बजट अनुमान एवं बजट अनुमान 2017–18 शासन को प्रस्तुत किया जा चुका है।

6.3 वित्तीय वर्ष 2014–15 का संक्षिप्त लेखा विवरण

वित्तीय वर्ष 2015–16 के संपरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण में दिनाँक 31.03.15 को विगत वर्ष का अंतिम रोकड़ शेष तथा बैंकस्थ रोकड़ शेष रू. 36004275.09 था जिसे प्रारंभिक शेष के रूप में लेकर वित्तीय वर्ष 2015–16 की रोकड़ बही दिनाँक 01.04.2015 को प्रारंभ की गई। दिनांक 31.03.2016 की स्थिति में अंतिम रोकड़ तथा बैकस्थ रोकड़ रू. 25782636.11 शेष था। वर्ष 2015–16 के संपरीक्षित वार्षिक लेखे एवं महालेखाकार छ.ग. द्वारा जारी संपरीक्षा प्रमाण पत्र इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट में है।

परिशिष्ट

No. CAW/S-2/A/cs-15/CSERC/2015-16/F- 612/D-833

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा), छत्तीसगढ़, रायपुर
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of Accountant General (Audit), Chhattisgarh, Raipur.

दिनांक
Date: 01/03/2017

To,

The Chairman,
Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission,
Irrigation Colony, Shanti Nagar,
Raipur, Chhattisgarh-492001

Sub: Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the accounts of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission for the year ended 31 March 2016.

Sir,

I am to forward herewith the Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the accounts of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission for the year 2015-16 under Sub Section (2) of Section 104 of the Electricity Act 2003. Six copies of printed annual accounts incorporating the Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India may be forwarded to this office after placing the same before the Annual General Meeting along with a copy of the minutes of the AGM.

Encl: As above

Yours faithfully,

Sr. Deputy Accountant General
(ES & RS)

पोस्ट – मांढर, जीरो प्वाइंट, रायपुर – 493 111 (छत्तीसगढ़)
Post - Mandhar, Zero Point, Raipur - 493 111 (Chhattisgarh)
फोन / Phone : 2582082 • फैक्स / Fax : 2582505 • ई-मेल / Email : agauchhattisgarh@cag.gov.in

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission for the year ended 31 March 2016

We have audited the attached Balance Sheet of the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission as at 31 March 2016 and the Income and Expenditure account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 104(2) of the Electricity Act, 2003. These Financial Statements include the accounts of Units of the Commission. These Financial Statements are the responsibility of the Commission's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

This Separate Audit Report (SAR) contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms and other significant audit observations with regard to compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety and Regularity nature) etc., noticed during the audit of Financial Statements, if any. Audit observations relating to compliance with Law, Rules and Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency cum performance aspects etc. are also reported through Inspection Report/CAG's Audit Reports separately.

We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These Standards require that we plan and perform audit to obtain reasonable assurance about whether the Financial Statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

Based on our audit, we report that:

i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

ii. The Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report are drawn up in the format approved by the Chhattisgarh State Government under Section 104(2) of the Electricity Act, 2003.

iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Commission as required under Section 104(1) of the Electricity Act, 2003 in so far as it appears from our examination of such books.

iv. We further report that:

Comments on Accounts

(A) Balance Sheet

Assets

Provident funds (CPS)

1. As per Generally Accepted Accounting Practices assets and liabilities should not be netted off. In contravention of this, the Commission netted off Provident Fund (CPS) Assets with Provident Fund (CPS) Liabilities of ₹ 1.44 crore. This has resulted in understatement of Assets as well as Liabilities by ₹ 1.44 crore.

Liabilities

Sundry Creditors and Other

Payable to Transmission Company- ₹ 51.76 lakh

2. The above represents license fee refundable to Chhattisgarh State Power Trading Company Limited after adjusting the license fees of ₹ 4.15 lakh recoverable for the year 2016-17. However, the actual amount payable was ₹ 55.91 lakh as on 31 March 2016. This has resulted in understatement of Sundry Creditors and Other Liabilities and overstatement of Income over Expenditure by ₹ 4.15 lakh.

(B) Income and Expenditure Account

Income

Interest on cash at bank- ₹ 56.32 lakh

3. This does not include ₹ 2.56 lakh towards interest receivable on Contributory Pension Scheme fund kept in the HDFC bank for the period from 01 October 2015 to 31 March 2016. This should have been recognised as interest income in the books of accounts for the year 2015-16. Not accounting of the same has resulted in understatement interest income as well as excess of Income over Expenditure by ₹ 2.56 lakh.

Expenditure

Establishment charges: (Schedule- J)

Leave encashment: ₹ 4.08 lakh

4. This includes ₹ 2.10 lakh towards provision for leave encashment for the year 2014-15, which should have been accounted as prior period expenditure. Not doing so has resulted in understatement of prior period expenditure and overstatement of Expenditure of current year by ₹ 2.10 lakh.

Depreciation – ₹ 7.16 lakh

5. The above is understated by ₹ 5.85 lakh due to erroneous calculation of depreciation at old rates as per the Companies Act 1956 instead of revised rates as per Schedule- II of the Companies Act, 2013. This resulted in understatement of depreciation and overstatement of excess of Income over Expenditure as well as Assets (Net Block) by ₹ 5.85 lakh.

Establishment charges ₹ 2.20 crore

6. A reference is invited to item no. (11) of the Notes on Accounts wherein it has been mentioned that " Since the facility of surrender and encashment of earned leave during the service period has been abolished by the State Government, the provision for it has not been made in the Commission's accounts. However amount of indicative estimate of encashment of earned leave payable at the time of retirement or death at the current pay band of salary comes to ₹ 51.98 lakh and ₹ 16.04 lakh respectively as per Annexure–1. The higher of the above two amounts may be considered as maximum contingent liability as on the Balance Sheet date which being of contingent nature has not been charged in income and expenditure account of Commission". The Commission has not complied with the requirement of Accounting Standard - 15 "Accounting for retirement benefits" as liabilities of ₹ 51.98 lakh towards leave encashment of the employees of Commission which is mandatory in nature, should have been accounted for as clear liability instead of contingent liability. This resulted in understatement of Current Liabilities & Provisions and overstatement of Income over Expenditure by ₹ 51.98 lakh.

(C) General
Notes on Accounts (Schedule L)

7. A reference is invited to Item no. (12) of the Notes on Accounts, wherein it has been mentioned that "As per service condition of Chairman and Member of the Commission, they are entitled for surrender and encashment of earned leave amounting to ₹ 42000/- & ₹ 59532/- respectively". However, the actual amount for surrender and encashment of earned leave was ₹ 63000/- and ₹ 79376/- respectively. Hence, Notes on Accounts is factually incorrect to that extent.

v. Subject to our observations in the preceding paragraph, we report that the Balance Sheet and Income and Expenditure Account and Receipt and payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure –I to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India;

a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission as at 31 March 2016; and

b. In so far as it relates to Income and Expenditure Account of the Surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Place: Raipur
Date : 01/03/2017

Accountant General (Audit)

Annexure-I to Separate Audit Report

1. **Adequacy of Internal Control System:** Internal control system is adequate and commensurate with the size and nature of the Commission.
2. **Adequacy of Internal Audit System:** As per Rule 9 (b) of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Annual Accounts, Audit and Budget) Rules, 2007 "Internal audit of the Commission shall be entrusted to a person of the Commission designated by the Chairperson or to a firm of Chartered Accountants" however, Commission had not appointed the internal auditor for the year 2015-16. Thus, no internal audit of the Commission was conducted for the year 2015-16.
3. **System of Physical verification of fixed assets:** The Physical Verification of the Fixed Assets has not been done by the Commission for the year 2015-16. In the absence of Physical Verification, the existence and value of fixed assets mentioned in accounts could not be verified in audit.
4. **System of Physical verification of inventory:** The Commission does not have any inventory as it is not a manufacturing or trading entity.
5. **Regularity in payment of statutory dues:** The Commission is regular in depositing undisputed statutory dues.
6. Maintenance of Fixed Deposit Register is essential to monitor the maturity date, renewal and calculation of accrued interest etc. However, the Commission has not been maintaining any FDR Register.

Accountant General (Audit)

प्ररूप–क
(देखिये नियम 6)

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

(1.4.2015 से 31.03.2016)

गत वर्ष (रू.)	प्राप्तियाँ	राशि (रू.)	कुल राशि (रू.)	गत वर्ष (रू.)	भुगतान	राशि (रू.)	कुल राशि (रू.)
	1. प्रारंभिक शेष				1. स्थापना व्यय		
10676.00	(i) हस्तस्थ रोकड़	11709.00		18817768.00	(i) वेतन एवं भत्ते	19458615.00	
2000.00	(i) खुदरा रोकड़	443.00		0.00	(ii) मजदूरी	0.00	
36098995.49	(iii) बैंक में रोकड	24764690.09		662629.00	(iii) व्यावसायिक एवं अन्य सेवाओं के लिए भुगतान (सुरक्षा एवं रख रखाव)	767338.00	
8209209.00	(iv) सी.एस.ई.आर.सी. एन.पी.एस.	11031346.00		466742.00	(iv) मृत्यु सह सूवानिवृत्ति उपादान	406441.00	
3245.00	(v) सी.एस.ई.आर.सी. टी.डी.एस.	196087.00	36004275.09	0.00	(v) अवकाश वेतन का भुगतान	0.00	
0.00	2. छत्तीसगढ़ शासन से अनुदान	0.00	0.00		(vi) यात्रा व्यय		
	3. आयोग की प्राप्तियाँ			900433.00	(अ) देशीय यात्रा	1129467.00	
	(i) निवेश से प्राप्तियाँ			34983.00	(ब) विदेश यात्रा	0.00	
65034319.00	(क) निवेश का नगदीकरण	45500000.00		0	(स) अवकाश यात्रा रियायत	0	
13070693.00	(ख) निवेश पर ब्याज	10845270.00		12000.00	(vii) मानदेय (राज्य सलाहकार समिति)	7500.00	
106269.00	(ii) कर्मचारियों से ऋण एवं अग्रिम की वसूली	234374.00		141449.00	(viii) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	305508.00	
	(iii) अन्य प्राप्तियाँ			0.00	(ix) अधिलाभांश	0.00	
0.00	(क) वर्तन	0.00		863122.00	(x) अन्य स्थापना व्यय (विद्युत लोकपाल कार्यालय)	1363410.00	23438279.00
38506739.00	(ख) शुल्क, जुर्माना, शास्ति एवं प्रभार	52985892.00			2. प्रशासनिक एवं अन्य कार्यालयीन व्यय		
2656088.00	(ग) बैंक में रोकड़ पर ब्याज	5631595.00		13315.00	(i) सभा एवं सम्मेलन व्यय	0.00	
0.00	(घ) कर्मचारियों के ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज	0.00		339698.00	(ii) दूरभाष एवं फैक्स व्यय	294862.00	
0.00	(ड़) विविध प्राप्तियाँ	0.00		6483.00	(iii) किराया दर एवं कर	6483.00	
357500.00	(i) बयाना राशि	2022000.00		10330889.40	(iv) अन्य प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्यय	13500154.98	
76576.00	(ii) प्रतिभूति निक्षेप (प्राप्त)	17488.00		14062.00	(v) वैधानिक व्यय	33400	
2986375.00	(iii) प्रेषण प्राप्तियाँ	1300661.00		30030.00	(vi) जी.आई.एस. अंशदान प्रीमियम	30030.00	13864929.98
1007574.00	(iv) नवीन अंशदायी पेंशन योजना (कर्मचारी का अंशदान)	1154319.00		1905309.00	3. पूंजीगत व्यय		374403
5800.00	(v) निविदा प्रपत्र की बिक्री	14600.00		56983.00	4. प्रतिभूति निक्षेप (पक्षकारों को भुगतान)		7794
30146.00	(vi) स्टाफ कार वसूली	24145.00		391500.00	5. बयाना राशि की वापसी		1477024
0.00	(vii) गृह किराया वसूली	0.00		2986335.00	6. प्रेषण भुगतान		1261502
9000.00	(viii) प्रकाशन का विक्रय	12000.00			7. कर्मचारियों को अग्रिम (यात्रा हेतु अग्रिम)		
1279.00	(ix) अन्य विविध प्राप्तियाँ	9212.00		183974.00	(i) यात्रा अग्रिम	10764.00	
1034896.00	(x) विद्युत लोकपाल के खर्चों को अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त	461697.00		0.00	(ii) अनाज अग्रिम	0.00	
1000.00	(xii) अप्रचलित संपत्तियों का विक्रय	0.00		50400.00	(iii) त्यौहार अग्रिम	32800.00	43564.00
4350.00	(xiii) प्रशुल्क याचिका पुस्तिका का विक्रय	3900.00	120217153.00		8. अंतिम शेष		
				11709.00	(i) हस्तस्थ रोकड	16339	
				443.00	(ii) खुदरा रोकड़	1306.00	
				24764690.09	(iii) बैंक में रोकड	11056738.11	
				11031346.00	(iv) सी.एस.ई.आर.सी. एन.पी.एस.	14406966.00	
				196087.00	(iv) छ.ग.रा.वि.नि.आ., टी.डी.एस.	301287	25782636.11
				350.00	9. एन्टीवायरस साफटवेयर		0
				0.00	10. अन्य साफटवेयर		0
				95000000.00	11. बैक स्थायी जमा पर निवेश		89971296
169212729.49	योग		156221428.09	169212729.49	योग		156221428.09

आंतरिक वित्तीय विश्लेषक   सचिव   सदस्य   अध्यक्ष

स्थान : रायपुर

दिनांक : 16.08.2016

प्ररूप–3
(देखिये नियम 8)

आय व्यय लेखा 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

(1.4.2015 से 31.3.2016)

गत वर्ष (रू.)	व्यय	राशि (रू.)	कुल राशि (रू.)	गत वर्ष (रू.)	आय	राशि (रू.)	कुल राशि (रू.)
	A. (1) स्थापना व्यय (सारणी–त्र)			0.00	1. छत्तीसगढ़ शासन से सहायता अनुदान (प्राप्त)	0.00	
19559758.00	I वेतन एवं भत्त	19003043.00			जोड़ें: प्राप्य अनुदान	0.00	
0.00	II मजदूरी	0.00			योगः	0.00	
1007574.00	III अवकाश वेतन, अंशदान एवं निवृत्ति वेतन	1154319.00			घटायें: पूंजीकृत राशि	0.00	
806989.00	IV सी.पी.एस. निधि पर ब्याज	1066982.00			शुद्ध योगः		0.00
466742.00	V मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान	406441.00		12016122.00	2. निवेश पर ब्याज		13468023.00
0.00	VI अवकाश नगदीकरण	407914.00	22038699.00	0.00	3. अग्रिम पर ब्याज		0.00
677111.00	2. व्यावसायिक एवं अन्य सेवाओं के लिए भुगतान		768961.00	2634701.00	4. बैंक में रोकड़ पर ब्याज		5631595.00
	3. यात्रा व्यय (सारणी–य)			0.00	5. सुरक्षा निधि पर ब्याज		0.00
34983.00	i. विदेश यात्रा	0.00		38506739.00	6. वर्तन एवं शुल्क एवं प्रभार		47829892.00
1162680.00	ii. देशीय यात्रा	885449.00			7. विविध प्राप्तिया		
0.00	iii. अवकाश यात्रा रियायत	0.00	885449.00		(क) सम्पत्ति के विक्रय पर लाभ	0.00	
8000.00	4. मानदेय (राज्य सलाहकार समिति)		7500.00		(ख) निविदा प्रपत्र की बिक्री	14600.00	
0.00	5. ओवर टाईम भत्ता		0.00		(ग) स्टॉफ कार वसूली	24145.00	
158911.00	6. चिकित्सा प्रतिपूर्ति		316462.00		(घ) प्रकाशन का विक्रय	12000.00	
0.00	7. अधिलाभांश		0.00	46800.00	(ड़) अन्य विविध प्राप्तियाँ	9212.00	59957.00
0.00	8. अन्य स्थापना व्यय		0.00				
14062.00	9. वैधानिक व्यय		33400.00				
56006.00	10. सम्पत्ति के विक्रय पर हानि		0.00				
30374.00	11. जी.आई.एस. अंशदान प्रीमियम		30030.00				
	ख. प्रशासनिक एवं अन्य कार्यालयीन व्यय						
13315.00	(i) सभा एवं सम्मेलन व्यय	0.00					
339005.00	(ii) दूरभाष एवं फैक्स व्यय	302437.00					
6483.00	(iii) किराया, दर एवं कर	6483.00					
9339330.40	(iv) अन्य प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्यय	14113207.98					
350.00	(v) एन्टिवायरस साटवेयर के लागत में कमी	0.00	14422127.98				
373215.00	ग. अक्षयण		715962.00				
19149473.60	ड़. आय का व्यय पर आधिक्य		27770876.02				
53204362.00	योग		66989467.00	53204362.00	योग		66989467.00

आंतरिक वित्तीय विश्लेषक सचिव सदस्य अध्यक्ष

स्थान : रायपुर

दिनांक : 16.08.2016

(सारणी—ञ)
(देखिये नियम 5)
स्थापना व्यय 31 मार्च 2016
(1.4.2015 से 31.3.2016)

क्रमांक	व्यय का विवरण	अध्यक्ष एवं सदस्य	अधिकारी	कर्मचारी	कुल राशि (रू.)
		(I)	(II)	(III)	(IV)
(I)	वेतन एवं भत्ते	2941968.00	9306157.00	6754918.00	19003043.00
(II)	मजदूरी	0.00	0.00	0.00	0.00
(III)	पेंशन अंशदान	0.00	561266.00	593053.00	1154319.00
(IV)	सी.पी.एस. निधि पर ब्याज	0.00	503660.00	563322.00	1066982.00
(V)	मुत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान	0.00	195092.00	211349.00	406441.00
(VI)	अवकाश नगदीकरण हेतु प्रावधान	407914.00	0.00	0.00	407914.00
	योग	3349882.00	10566175.00	8122642.00	22038699.00

आंतरिक वित्तीय विश्लेषक   सचिव

(सारणी—य)
(देखिये नियम 5)
यात्रा व्यय 31 मार्च 2016
(1.4.2015 से 31.3.2016)

क्रमांक	व्यय का विवरण	अध्यक्ष एवं सदस्य	अधिकारी	कर्मचारी	कुल राशि (रू.)
		(I)	(II)	(III)	(IV)
(I)	देशीय यात्रा	257566.00	627883.00	0.00	885449.00
(II)	विदेश यात्रा	0.00	0.00	0.00	0.00
(III)	अवकाश यात्रा रियायत	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	257566.00	627883.00	0.00	885449.00

आंतरिक वित्तीय विश्लेषक   सचिव

प्रशासनिक एवं अन्य कार्यालयीन व्यय

31.3.2016 को समाप्त वर्ष के लिए

(1.4.2015 से 31.3.2016)

क्र.	विवरण	चालू वर्ष के व्यय (देखिये आय एवं व्यय खाता) रु.	अदत्त		चालू वर्ष में भुगतान (देखिये प्राप्ति एवं भुगतान खाता) रु.
			गत वर्ष के अदत्त व्यय चालू वर्ष में हस्तांतरित 01.04.2015 को	चालू वर्ष के अदत्त व्यय आगामी वर्ष में हस्तांतरित 31.03.2016 को	
1	2	3	4	5	6
1	विज्ञापन एवं प्रचार	921226.00	529530.00	734506.00	716250.00
2	अंकेक्षण शुल्क महालेखाकार देय	60000.00	300685.00	60000.00	300685.00
3	बैंक शुल्क	3321.98	0.00	0.00	3321.98
4	पुस्तक एवं नियत कालिक पत्रिका	78200.00	0.00	0.00	78200.00
5	संगणक लेखन सामग्री एवं उपभुक्त	19326.00	0.00	0.00	19326.00
6	सलाहकारिता शुल्क	4152134.00	241910.00	1033857.00	3360187.00
7	विद्युत एवं पानी खर्च	218909.00	29986.00	-48546.00	297441.00
8	अधिवक्ता शुल्क	3709181.00	346750.00	209520.00	3846411.00
9	साज सज्जा एवं कार्यालय उपकरण	14230.00	0.00	0.00	14230.00
10	भाड़ा (आटो रिक्शा)	184681.00	14971.00	16847.00	182805.00
11	भाड़ा (कार)	827024.00	70745.00	78483.00	819286.00
12	प्रशिक्षण व्यय	221584.00	0.00	0.00	221584.00
13	विद्युत रखरखाव	183931.00	22000.00	29067.00	176864.00
14	उपस्कर एवं जुड़नार (मरम्मत एवं रखरखाव)	2900.00	0.00	0.00	2900.00
15	उद्यान रखरखाव व्यय	127284.00	9300.00	10367.00	126217.00
16	यात्रा व्यय (साक्षात्कार हेतु)	0.00	0.00	0.00	0.00
17	अतिथि सत्कार व्यय	19865.00	0.00	0.00	19865.00
18	आयकर (देय)	0.00	0.00	0.00	0.00
19	पोशाक / गणवेश व्यय	29132.00	0.00	2162.00	26970.00
20	यात्रा के दौरान स्थानिय परिवहन भत्ता	91436.00	42719.00	7685.00	126470.00
21	मरम्मत एवं रखरखाव यंत्र, उपकरण एवं कम्प्यूटर	126809.00	874.00	18998.00	108685.00
22	सदस्यता शुल्क व्यय (FOR)	600000.00	0.00	0.00	600000.00
23	सदस्यता शुल्क व्यय (FOIR)	400000.00	0.00	0.00	400000.00
24	सदस्यता शुल्क व्यय (SAFIR)	253614.00	0.00	0.00	253614.00
25	विविध कार्यालय व्यय	113463.00	2850.00	0.00	116313.00
26	समाचार पत्र एवं पत्रिका व्यय	21441.00	1881.00	727.00	22595.00
27	पेट्रोल / तेल एवं चिकनाई	269870.00	5329.00	0.00	275199.00
28	डाक एवं तार व्यय	34058.00	0.00	0.00	34058.00
29	छपाई, लेखन सामग्री एवं फार्म	198941.00	0.00	90724.00	108217.00
30	प्रकाशन व्यय	7050.00	0.00	0.00	7050.00
31	चाय / काफी प्रीमिक्स व्यय	66789.00	5400.00	5600.00	66589.00
32	शुल्क एवं भत्ते (राज्य सलाहकार समिति बैठक)	22370.00	940.00	1470.00	21840.00
33	मरम्मत एवं रखरखाव मोटर गाड़ी (अध्यक्ष एवं सदस्य)	57049.00	0.00	-4712.00	61761.00
34	चिकित्सा परामर्श शुल्क	20080.00	3920.00	8460.00	15540.00
35	चिकित्सा व्यय	476.00	0.00	0.00	476.00
36	कर्मचारी प्रोत्साहन व्यय	525000.00	0.00	0.00	525000.00
37	अनुवाद व्यय	23755.00	0.00	0.00	23755.00
38	भवन (सुधार एवं रखरखाव)	69678.00	15279.00	0.00	84957.00
39	आयोग संचालन व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00
40	सभा व्यय	182888.00	0.00	-2.00	182890.00
41	अन्य प्रशासनिक व्यय	245822.00	17859.00	20768.00	242913.00
42	जल व्यय	9690.00	0.00	0.00	9690.00
	योग	**14113207.98**	**1662928.00**	**2275981.00**	**13500154.98**

आंतरिक वित्तीय विश्लेषक

सचिव

प्ररूप–4
(देखिये नियम 8)

तुलन पत्र 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
(1.4.2015 से 31.3.2016)

गत वर्ष (रू.)	दायित्व		राशि (रू.)	कुल राशि (रू.)
217411919.09	पूंजी निधी	(सारणी–1)		
	प्रारंभिक शेष		167211290.09	
	जोड़िये: अवक्ष्यण राशि सहायता अनुदान (अधोसंरचना) में हस्तांतरित		0.00	
	योग		0.00	
	जोड़िये: आय का व्यय पर आधिक्य		27770876.02	
			194982166.11	
	घटाइये: पूर्वगामी अवधि		0.00	
			194982166.11	
	जोड़िये: एम.एन.आर.ई. से सहायता अनुदान	7852055.00		
	घटाईये: अवक्ष्यण	700000.00	7152055.00	
	जोड़िये: छत्तीसगढ़ शासन से सहायता अनुदान (अधोसंरचना)	42348574.00		
	घटाईये: अवक्ष्यण			
	पूर्वगामी अवधि	-191434.00		
	चालू वर्ष	1520765.00	41019243.00	243153464.11
	ऋण:			
	<u>चालू दायित्व एवं प्रावधान:</u>			
3261.00	प्रेषण	(सारणी–2)		42420.00
19019723.00	विविध लेनदार एवं अन्य दायित्व	(सारणी–4)		24727939
0.00	उपादान हेतु प्रावधान (समस्त कर्मचारियों के लिए)	(सारणी–5)		0.00
236434903.09	योग			267923823.11

गत वर्ष (रू.)	आस्तियाँ		राशि (रू.)	कुल राशि (रू.)
53985406.00	स्थायी आस्तियाः	(सारणी–क)		
	सकल योग		66534730.00	
	घटाईये: अवक्ष्यण		14758514.00	
	शुद्ध योग			51776216.00
0.00	क्रियमाण कार्य (नये कार्यालय भवन का निर्माण)		0.00	
				0.00
157102996.00	निवेश	(सारणी–ख)		204197045.00
234374.00	आकस्मिक एवं अन्य ऋण एवं अग्रिम	(सारणी–ग)		
				43564.00
65886.00	निक्षेप	(सारणी–घ)		65886.00
0.00	भविष्य निधि	(सारणी–ड़)	14406966	
0.00	घटाईये: भविष्य निधि	(सारणी–3)	14406966	0.00
68307.00	विविध देनदार	(सारणी–च)		455725.00
0.00	अनुदान प्राप्य	(सारणी–छ)		0.00
	अंतिम शेष:			
12152.00	हस्तस्थ रोकड	(सारणी–ज)		17645.00
24960777.09	बैंक में रोकड	(सारणी–झ)		11358025.11
	लेखाओं पर टिप्पणीयाँ	(सारणी–र)		
5005.00	जी.आई.एस. (पूर्वदत्त)			5005.00
0.00	मोटर कार बीमा (पूर्वदत्त)			4712.00
236434903.09	योग			267923823.11

टीप:

1 राज्य शासन द्वारा सेवावधि के दौरान अर्जित अवकाश के समर्पण एवं नगदीकरण की सुविधा समाप्त कर दी गई है, अतः इसका प्रावधान आयोग के खाता में नहीं किया गया है, परंतु आकस्मिक मृत्यु अथवा सेवानिवृत्त होने पर देय अर्जित अवकाश हेतु अनुमानित राशि के रुप में तात्कालीन वेतन बैंड का रु. 5198346/– और रु. 1603913/– क्रमशः परिशिष्ठ–1 पर दर्शित है। आयोग के खाते में उक्त दोनों राशियों में से अधिकतम राशि का आकस्मिक दायित्व के रूप में तुलन–पत्रक में दर्शाया गया है एवं आकस्मिक स्वभाव को आयोग के खातों में नही दर्शाया गया है।

2 राज्य शासन के परिपत्र क्रमांक 2335, नियम 2/4/72, दिनांक 14.11.72 में निहित प्रावधानानुसार अधिलाभांष भुगतान का प्रावधान शासकीय कर्मचारी के मृत्योपरान्त किया जाना है। इस संबंध में आकस्मिक दायित्व का प्रावधान अनुमानित रुप से अधिकतम दायित्व के रुप में रु.50000/–, किया गया है। प्रति कर्मचारी रु.25000/– आकलित किया गया है।

3 आयोग द्वारा नवीन कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना को अपनाया गया है, तथापि नवीन पेंशन योजना के तहत अंशदान का लेखा 31.03.2016 तक कुल दायित्व रु.14406966/– को एच.डी.एफ.सी. बैंक में रखा गया है । चुंकि राज्य शासन के परिपत्र क्रमांक 56/2012 दिनांक 12.03.2012 को संज्ञान में लेते हुए आयोग ने राज्य शासन से पत्र क्रमांक 496 दिनांक 12.03.2015 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा था परन्तु राज्य शासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राम्त न होने के कारण पी.एफ.आर.डी.ए. में दायित्व का हस्तांतरण नही किया जा सका।

आंतरिक वित्तीय विश्लेषक   सचिव   सदस्य   अध्यक्ष

स्थान : रायपुर

दिनांक : 16.08.2016

सारणी–1

(देखिये फार्म IV)

पूंजी निधी 31 मार्च 2016

(1.4.2015 से 31.3.2016)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	योग	अपलिखित राशि	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6	7
(I)	भूमि	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
(ii)	कार्यालय भवन	36897791.00	0.00	36897791.00	653646.00	36244145.00
(iii)	उपस्कर एवं जुड़नार	1161748.00	0.00	1161748.00	128401.00	1033347.00
(iv)	वातानुकुलित	286789.00	143940.00	430729.00	70580.00	360149.00
(v)	गणक यंत्र	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00
(vi)	आंकड़ा संसाधन यंत्र	742996.00	0.00	742996.00	149756.00	593240.00
(vii)	विद्युत उपकरण	869322.00	0.00	869322.00	359405.00	509917.00
(viii)	अग्नि शमन उपकरण	52357.00	0.00	52357.00	16222.00	36135.00
(ix)	यंत्र एवं उपकरण	176434.00	1850.00	178284.00	37113.00	141171.00
(x)	भू–सज्जा एवं उद्यान	312805.00	170202.00	483007.00	6325.00	476682.00
(xi)	सूचना एवं प्रौद्यिगिकिय	257943.00	220111.00	478054.00	108737.00	369317.00
(xii)	सौर ऊर्जा संयंत्र	12214262.00	0.00	12214262.00	1088888.00	11125374.00
(xiii)	मोटर गाड़ी	1012950.00	0.00	1012950.00	126220.00	886730.00
(xiv)	उपहार/दान सम्पत्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(xv)	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(xvi)	एन्टिवायरस साफटवेयर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(xvii)	अन्य साफटवेयर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(xviii)	छत्तीसगढ़ शासन से सहायता अनुदान (अधोसंरचना)	42348574.00	0.00	42348574.00	1329331.00	41019243.00
(xviv)	एम.एन.आर.ई से सहायता अनुदान (सौर ऊर्जा संयंत्र)	7852055.00	0.00	7852055.00	700000.00	7152055.00
	निवल चालू आस्तियाँ	113225884.09	29980066.02	143205950.11	0.00	143205950.11
		217411919.09	30516169.02	247928088.11	4774624.00	243153464.11

आंतरिक वित्तीय विश्लेषक सचिव

सारणी–2

(देखिये फार्म IV)

प्रेषण 31 मार्च 2016

(1.4.2015 से 31.3.2016)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	योग	अपलिखित राशि	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6	7
(I)	सामान्य भविष्य निधि कोष एवं अन्य कार्यालय कोष (समुह बीमा योजना + सामान्य भविष्य निधि)	0.00	149400.0	149400.0	149400.0	0.00
(ii)	अनुज्ञप्ति शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	आयकर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv)	विक्रय कर/सत्कार कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(v)	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi)	गृह किराया वसूली	0.00	7980.00	7980.00	7980.00	0.00
(vii)	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	3261.00	1143281.00	1146542.00	1104122.00	42420.00
		3261.00	1300661.00	1303922.00	1261502.00	42420.00

आंतरिक वित्तीय विश्लेषक सचिव

सारणी–3

(देखिये फार्म IV)

भविष्य निधि 31 मार्च 2016

(1.4.2015 से 31.3.2016)

क्रमांक	विवरण	राशि (रू.)	राशि (रू.)
क.	राज्य विद्युत नियामक आयोग भविष्य निधि		
1	प्रारंभिक शेष	निरंक	
2	अभिदान	निरंक	
3	अग्रिम की वसूली	निरंक	
4	ब्याज	निरंक	
	योग		निरंक
	घटायें: अग्रिम / अंतिम देय / निवेश		
	शेषः		
ख.	निवृत्ति वेतन एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभ कोष		
1	प्रारंभिक शेष	11031346.00	
2	नया अंशदान निवृत्ति वेतन कोष		
	(i) कर्मचारी अंशदान	1154319.00	
	(ii) नियोक्ता अंशदान	1154319.00	
3	सेवानिवृत्त लाभ कोष	निरंक	
4	ब्याज	1066982.00	14406966.00
	घटायें: कुल भुगतान		0.00
	योग		14406966.00

आंतरिक वित्तीय विश्लेषक

सचिव

सारणी–4

(देखिये फार्म IV)

विविध लेनदार एवं अन्य दायित्व 31 मार्च 2016

(1.4.2015 से 31.3.2016)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	प्रेषित राशि	पुनः भुगतान	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रतिभूति निक्षेप	162891.00	17488.00	0.00	7794.00	172585.00
2	बयाना राशि जमा	205500.00	2022000.00	0.00	1477024.00	750476.00
3	विविध लेनदार	4833.00	0.00	0.00	0.00	4833.00
4	अन्य दायित्व (विनिर्दिष्ट करें)					
1	विज्ञापन एवं प्रचार (देय)	492046.00	734506.00	529530.00	0.00	697022.00
2	अंकेक्षण शुल्क महालेखाकार (देय)	400000.00	60000.00	300685.00	0.00	159315.00
3	भवन (सुधार एवं रखरखाव) (देय)	15279.00	0.00	15279.00	0.00	0.00
4	छ.ग. गृह निर्माण मंडल (देय)	3129961.00	0.00	0.00	0.00	3129961.00
5	क्रेडा, रायपुर (देय)	5555495.00	0.00	0.00	0.00	5555495.00
6	सलाहकारिता शुल्क (देय)	1746130.00	1033857.00	241910.00	0.00	2538077.00
7	विद्युत लोकपाल व्यय (देय)	112918.00	116928.00	0.00	112918.00	116928.00
8	विद्युत एवं पानी व्यय (देय)	63260.00	7410.00	63260.00	0.00	7410.00
9	अधिवक्ता शुल्क (देय)	346750.00	209520.00	346750.00	0.00	209520.00
10	भाड़ा (आटो रिक्शा) देय	14971.00	16847.00	14971.00	0.00	16847.00
11	भाड़ा (कार) देय	70745.00	78483.00	70745.00	0.00	78483.00
12	उद्यान रखरखाव व्यय (देय)	13950.00	15550.00	13950.00	0.00	15550.00
13	आयकर (देय)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	यात्रा के दौरान स्थानिय परिवहन भत्ता (देय)	42719.00	7685.00	42719.00	0.00	7685.00
15	अवकाश नगदीकरण (देय)	196600.00	407914.00	0.00	0.00	604514.00
16	वर्दी (देय)		2162.00			2162.00
17	मरम्मत एवं रखरखाव यंत्र, उपकरण (देय)	874.00	18998.00	874.00	0.00	18998.00
18	यंत्र एवं उपकरण की लागत (देय)		161700.00			161700.00
19	चिकित्सा सहकारिता शुल्क (देय)	3920.00	8460.00	3920.00	0.00	8460.00
20	अन्य कार्यालय व्यय (देय)	2850.00	0.00	2850.00	0.00	0.00
21	बैठक व्यय (रा.स.स. सदस्य) देय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	विद्युत रखरखाव (देय)	22000.00	29067.00	22000.00	0.00	29067.00
23	अखबार/पत्र व्यय (देय)	1881.00	727.00	1881.00	0.00	727.00
24	छपाई, लेखन सामग्री एवं फार्म (देय)	0.00	90724.00	0.00	0.00	90724.00
25	पेट्रोल/तेल एवं चिकनाई (देय)	5329.00	0.00	5329.00	0.00	0.00
26	वेतन एवं भत्ते (देय)	2236187.00	1780615.00	2236187.00	0.00	1780615.00
27	सुरक्षा एवं भवन रक्षण मजदूरी (देय)	93466.00	95246.00	93466.00	0.00	95246.00
28	प्रशुल्क याचिका पुस्तिका का विक्रय (छ.ग.रा.वि.मं. को देय)	32550.00	3900.00	0.00	0.00	36450.00
29	चाय/काफी प्रीमिक्स व्यय (देय)	5400.00	5600.00	5400.00	0.00	5600.00
30	दूरभाष एवं फैक्स व्यय (देय)	29652.00	37227.00	29652.00	0.00	37227.00
31	यात्रा भत्ता (देय)	262647.00	18629.00	262647.00	0.00	18629.00
32	Traveling allowance (SAC) Payable	940.00	1470.00	940.00	0.00	1470.00
33	आंकड़ा संसाधन यंत्र (देय)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (देय)	18575.00	29529.00	18575.00	0.00	29529.00
35	प्रकाशन व्यय (देय)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	अन्य प्रशासनिक व्यय (देय)	17859.00	20768.00	17859.00	0.00	20768.00
37	अनुज्ञप्ति शुल्क अग्रिम प्राप्त	1000000.00	1000000.00	0.00	1000000.00	1000000.00
38	अनुज्ञप्ति शुल्क (देय)	2103060.00	0.00	0.00	0.00	2103060.00
39	विघुत लोकपाल के खर्चों को अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त	608485.00	805741.00		1367420.00	46806.00
40	ट्रेडिंग कंपनी को (देय)		5176000.00			5176000.00
	योग	19019723.00	14014751.00	4341379.00	3965156.00	24727939.00

आंतरिक वित्तीय विश्लेषक

सचिव

सारणी–5

(देखिये फार्म IV)

उपादान हेतु प्रावधान 31 मार्च 2016

(1.4.2015 से 31.3.2016)

क्रमांक	विवरण	राशि (रू.)	राशि (रू.)
1	प्रारंभिक शेष	0.00	
2	चालु वर्ष में प्रावधान	0.00	
	योग:	0.00	
	घटायें: चालु वर्ष में भुगतान	0.00	
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	0.00
	शुद्ध शेष		0.00

आंतरिक वित्तीय विश्लेषक   सचिव

सारणी–क

(देखिये फार्म IV)

स्थायी आस्तियाँ 31 मार्च 2016

(1-4-2015 से 31-3-2016)

क्रमांक	आस्तियों का विवरण	सकल ब्लाक				अक्षयण की दर	अक्षयण				निवल आस्तियाँ वर्ष के अंत में	
		प्रारम्भिक	जेड़िये	निपटान	योग		प्रारम्भिक शेष 01 अप्रेल 2015 को	वर्ष के दौरान वृद्धि		अंतिम शेष 31 मार्च 2016 को	गत वर्ष तक	चालू वर्ष तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
1	भूमि (छ.ग. शासन से निःशुल्क प्राप्त)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	भवन	40100961.00	0.00	0.00	40100961.00	1.63%	3203170.00	653646.00	0.00	3856816.00	36897791.00	36244145.00
3	उपस्कर एवं जुड़नार	2032185.00	0.00	0.00	2032185.00	6.33%	870437.00	128401.00	0.00	998838.00	1161748.00	1033347.00
4	वातानुकुलित	1051191.00	143940.00	0.00	1195131.00	13.91%	764402.00	70580.00	0.00	834982.00	286789.00	360149.00
5	गणक यंत्र	180.00	0.00	0.00	180.00	13.91%	171.00	0.00	0.00	171.00	9.00	9.00
6	आंकड़ा संसाधन यंत्र	2419982.00	0.00	0.00	2419982.00	16.21%	1676986.00	149756.00	0.00	1826742.00	742996.00	593240.00
7	विद्युत उपकरण	2583787.00	0.00	0.00	2583787.00	13.91%	1714465.00	359405.00	0.00	2073870.00	869322.00	509917.00
8	अग्नि शमन उपकरण	116636.00	0.00	0.00	116636.00	13.91%	64279.00	16222.00	0.00	80501.00	52357.00	36135.00
9	यंत्र एवं उपकरण	380546.00	1850.00	0.00	382396.00	13.91%	204112.00	37113.00	0.00	241225.00	176434.00	141171.00
10	भू–सज्जा एवं उद्यान	335343.00	170202.00	0.00	505545.00	1.63%	22538.00	6325.00	0.00	28863.00	312805.00	476682.00
11	सूचना एवं प्रौद्यिगिकिय	306321.00	220111.00	0.00	526432.00	40.00%	48378.00	108737.00	0.00	157115.00	257943.00	369317.00
12	सौर ऊर्जा संयंत्र	15555495.00	0.00	0.00	15555495.00	7.00%	3341233.00	1088888.00	0.00	4430121.00	12214262.00	11125374.00
13	मोटर गाड़ी	1116000.00	0.00	0.00	1116000.00	10.50%	103050.00	126220.00	0.00	229270.00	1012950.00	886730.00
14	उपहार/दान सम्पत्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	अन्य सम्पत्तियां (विनिर्दिष्ट करें)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	सकल योग (1) से (15)	65998627.00	536103.00	0.00	66534730.00		12013221.00	2745293.00	0.00	14758514.00	53985406.00	51776216.00
17	एन्टिवायरस साफ्टवेयर	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	अन्य साफ्टवेयर	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	पूंजी क्रियमाण कार्य	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	महा योग (16+18)	65998627.00	536103.00	0.00	66534730.00		12013221.00	2745293.00	0.00	14758514.00	53985406.00	51776216.00
21	गत वर्ष	64094771.00	3228148.00	1324292.00	65998627.00		10246676.00	2962672.00	1196127.00	12013221.00	53848095.00	53985406.00

टीपः

* आयोग द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत मूल्य हास दर को स्वीकृत करते हुए मानक लेखांकन –VI का पालन किया गया है।

** सोलार पावर पलान्ट पर आर.ई. विनियम के आधार पर हास दर @7% कि दर से 10 वर्ष तक एवं इसके उपरान्त 1.33% की दर से अपलिखित किया जायेगा।

आंतरिक वित्तीय विश्लेषक

सचिव

सारणी–ख

(देखिये फार्म IV)

निवेश 31 मार्च 2016

(1.4.2015 से 31.3.2016)

क्रमांक	विवरण					राशि (रू.)	राशि (रू.)
1	बैंक में स्थायी जमा						
i.	प्रारंभिक शेष					140500000.00	
ii.	किया गया निवेश					89971296.00	
iii.	निवेश का नगदीकरण					45500000.00	
iv.	अंतिम शेष						184971296.00
					योग	184971296.00	184971296.00
2	राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाण पत्र पर निवेशध्अन्य प्रतिभूति (विनिर्दिष्ट करें)						
(अ)	प्रारंभिक शेष						
(ब)	किया गया निवेश						
(स)	निवेश का नगदीकरण						
(द)	अंतिम शेष						
					योग	184971296.00	184971296.00
3	बैंकों के नाम लिखें	देना बैक	देना बैक	पंजाब नेशनल बैंक	पंजाब नेशनल बैंक		
i.	राशि का विवरणः	40000000.00	49971296.00	50000000.00	45000000.00		
ii.	जमा की तारीखः	24.09.15	18.08.15	06.05.14	13.11.14		
iii.	जमा की समयावधिः	2 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	3 वर्ष		
iv.	देय तिथीः	22.09.17	16.08.17	05.05.17	12.11.17		
v.	ब्याज दरः	8.10%	8.25%	9.00%	9.00%		
vi.	ब्याजः	826943.00	3262219.00	9232677.00	5903910.00	19225749.00	19225749.00
					योग	19225749.00	19225749.00
					कुल योग (1+2+3)	204197045.00	204197045.00

आंतरिक वित्तीय विश्लेषक

सचिव

सारणी–ग

(देखिये फार्म IV)

आकस्मिक एवं अन्य ऋण एवं अग्रिम 31 मार्च 2016

(1-4-2015 से 31-3-2016)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	वसूली एवं समायोजन	अंतिम शेष
अ	आकस्मिक अग्रिम				
(अ)	के.लो.नि.विभाग को अग्रिम				
(ब)	महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान को अग्रिम				
(स)	आपूर्तिकर्ता को अग्रिम				
(द)	अन्य अग्रिम				
	उप–योग				
ब	कर्मचारियों को अग्रिम				
(अ)	अनाज अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00
(ब)	त्यौहार अग्रिम	50400.00	152000.00	169600.00	32800.00
(स)	अन्य अग्रिम (यात्रा अग्रिम)	183974.00	1327905.00	1501115.00	10764.00
	उप–योग	234374.00	1479905.00	1670715.00	43564.00
स	अन्य अग्रिम (विनिर्दिष्ट करें)				
(अ)	विद्युत लोकपाल के व्यय (अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्य)	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप–योग	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	234374.00	1479905.00	1670715.00	43564.00

आंतरिक वित्तीय विश्लेषक सचिव

सारणी–घ

(देखिये फार्म IV)

निक्षेप 31 मार्च 2016

(1-4-2015 से 31-3-2016)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	वसूली एवं समायोजन	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6
1	प्रतिभूति निक्षेप	65886.00	0.00	0.00	65886.00
2	बयाना राशि निक्षेप	0.00	0.00	0.00	0.00
3	अन्य निक्षेप	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	65886.00	0.00	0.00	65886.00

आंतरिक वित्तीय विश्लेषक सचिव

सारणी–ड़

(देखिये फार्म IV)

भविष्य निधि 31 मार्च 2016

(1-4-2015 से 31-3-2016)

क्रमांक	विवरण	राशि (रू)	राशि (रू)
अ	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग भविष्य निधि		
	प्रारंभिक शेष (बैक में)	19019723.00	
	जोड़ियेः चालु वर्ष मे किये गये निवेश	-4612757.00	
		14406966.00	14406966.00
	घटाईयेः निवेश का नगदीकरण		
ब	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	योग	0.00	14406966.00

आंतरिक वित्तीय विश्लेषक सचिव

सारणी–च

(देखिये फार्म IV)

विविध देनदार 31 मार्च 2016

(1-4-2015 से 31-3-2016)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	समायोजन	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6
अ					
	ग्रीन एनर्जी से प्राप्य	0.00	0.00	9000.00	9000.00
ब	बालाजी पावर से प्राप्य	0.00	0.00	0.00	11000.00
स	छ.ग.रा.वि.वि.कं. मर्या. से प्राप्य	0.00	393447.00	0.00	393447.00
द	विद्युत लोकपाल कार्यालय के खर्चों का भिलाई स्टील पलान्ट से प्राप्य	0.00	0.00	0.00	2832.00
ई	कार्यालय के खर्चों का क्रेडा द्वारा वहन (प्राप्य)	68307.00	39444.00	68307.00	39444.00
र	सभा व्यय प्राप्य	0.00	0.00	0.00	2.00
	योग	68307.00	432891.00	77307.00	455725.00

आंतरिक वित्तीय विश्लेषक सचिव

सारणी–छ

(देखिये फार्म IV)

अनुदान प्राप्य 31 मार्च 2016

(1-4-2015 से 31-3-2016)

क्रमांक	विवरण	राशि (रू)	राशि (रू)
अ	छत्तीसगढ़ शासन से अनुदान		
	प्रारंभिक शेष		
	जोड़ियः चालू वर्ष में किये गये दावे	0.00	
	योग	0.00	
	घटाईयेः चालू वर्ष में प्राप्त अनुदान	0.00	0.00
	योग	0.00	0.00

आंतरिक वित्तीय विश्लेषक सचिव

सारणी–ज

(देखिये फार्म IV)

हस्तस्थ रोकड़ 31 मार्च 2016

(1-4-2015 से 31-3-2016)

क्रमांक	विवरण	राशि (रू.)
अ	वेतन	0.00
ब	यात्रा भत्ता	0.00
स	आकस्मिक	0.00
द	कार्यालय व्यय	16339.00
ई	अन्य (विद्युत लोकपाल खुदरा रोकड़)	1306.00
	योग	17645.00

आंतरिक वित्तीय विश्लेषक   सचिव

सारणी–झ

(देखिये फार्म IV)

बैंक में रोकड़ 31 मार्च 2016

(1-4-2015 से 31-3-2016)

क्रमांक	विवरण		राशि (रू.)
अ	पंजाब नैशनल बैंक, रायपुर		
	प्रवर्ती खाता	8929458.05	
	आयकर खाता	301287.00	9230745.05
ब	आई.डी.बी.आई बैंक, रायपुर		384803.00
स	एच.डी.एफ.सी बैंक, रायपुर	14406966	
	सी.एस.ई.आर.सी. एन.पी.एस. खाता	14406966	0.00
द	भारतीय स्टेट बैंक, रायपुर		1742477.06
		योग	11358025.11

आंतरिक वित्तीय विश्लेषक   सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी -र

(देखिये नियम 3)

दिनाँक 31.3.2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लेखाओं पर टिप्पणी

(1.4.2015 से 31.3.2016)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ/लेखाओं पर टिप्पणियाँ–वार्षिक लेखा विवरण के साथ संलग्न किये जाने योग्य।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियॉ :–

1. प्रारंभिक शेष आयोग प्रबंधन द्वारा प्रमाणित दिनांक 31 मार्च 2015 के तुलन पत्र के आधार पर लिया गया है।
2. आयोग के लेखाओं को लेखांकन की उदित लेखांकन विधि से तथा एतिहासिक लागत मान्यता के आधार पर तैयार किया गया है।
3. आयोग के लेखाओं का लेखांकन वाणिज्यिक लेखांकन पद्धति के आधार पर किया गया है।
4. समस्त अनुदानों का लेखा मानक लेखांकन 12 के अनुसार किया गया है।
5. स्थायी आस्तियों का मूल्य, लागत मूल्य में दर्शाया गया है।
6. आयोग द्वारा मूल्यह्रास की दर कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत सीधी रेखा पद्धति के द्वारा वित्तिय वर्ष 2013–14 से परिकलित किया गया है। इसके अलावा संगणक यंत्र, सूचना एवं प्रौद्यिगिकिय, मोबाईल एवं अन्य हेतु योजना विभाग छ.ग. शासन द्वारा जारी ऊर्जा विभाग, छ.ग. शासन के पत्र क्रमांक 1458 दिनांक 24.07.2015 के द्वारा जारी वित्तिय परिपत्र क्रमांक 39/2014 के आधार पर 40% घटती किस्त पद्वति को आयोग द्वारा अपनाया गया है।
7. छ.ग. शासन, ऊर्जा विभाग के पत्र क्रमांक 661 दिनांक 23.06.10 (एक सरकारी संस्था दूसरे सरकारी संस्था से किराया नहीं ले सकता) के आधार पर क्रेडा को 5354.12 वर्ग फीट स्थान निःशुल्क दिया गया है।
8. आयोग की आय एवं सम्पत्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 289 के द्वारा संघीय करारोपण से विमुक्त रखा गया है।
9. राज्य शासन द्वारा आयोग को कार्यालय भवन हेतु 2400 वर्ग मीटर भूमि का निःशुल्क आवंटन किया गया है।
10. जीवन बीमा निगम द्वारा की गई गणना के आधार पर मृत्यु सःह सेवानिवृत्ति उपादान हेतु रु.2452933/– का संचय किया गया है।
11. राज्य शासन द्वारा सेवावधि के दौरान अर्जित अवकाश के समर्पण एवं नगदीकरण की सुविधा समाप्त कर दी गई है, अतः इसका प्रावधान आयोग के खाता में नहीं किया गया है, परंतु आकस्मिक मृत्यु अथवा सेवानिवृत्त होने पर देय अर्जित अवकाश हेतु अनुमानित राशि के रुप में तात्कालीन वेतन बैंड का रु. 5198346/– और रु. 1603913/– क्रमशः परिशिष्ठ–1 पर दर्शित है। आयोग के खाते में उक्त दोनों राशियों में से अधिकतम राशि का आकस्मिक दायित्व के रूप में तुलन–पत्रक में दर्शाया गया है एवं आकस्मिक स्वभाव को आयोग के खातों में नही दर्शाया गया है।

12. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की सेवा शर्त के अनुसार उनको समर्पित एवं अर्जित अवकाश का नगदीकरण की पात्रता किसी भी समय शेष अर्जित अवकाश का प्रावधान रु.42000/– एवं रु.59532/– किया गया है।

13. छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा एपटेल में दाखिल अपील क्र.308/2013 में माननीय एपटेल द्वारा दिनांक 09.10.2015 को यह फैसला लिया गया कि ट्रेडिंग कंपनी की आय वितरण कंपनी की आय मानी जावेगी, तदोपरान्त आयोग में अनुज्ञप्ति शुल्क के रुप में जमा राशि को लेखओं में होल्डिंग कंपनी को देय के रुप में दर्शाया गया है।

14. आयोग द्वारा नवीन कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना को अपनाया गया है, तथापि नवीन पेंशन योजना के तहत अंशदान का लेखा 31.03.2016 तक कुल दायित्व रु.14406966/– को एच.डी.एफ.सी. बैंक में रखा गया है । चुँकि राज्य शासन के परिपत्र क्रमांक 56/2012 दिनांक 12.03.2012 को संज्ञान में लेते हुए आयोग ने राज्य शासन से पत्र क्रमांक 496 दिनांक 12.03.2015 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा था परन्तु राज्य शासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण पी.एफ.आर.डी.ए. में दायित्व का हस्तांतरण नही किया जा सका।

15. बैंक सावधी जमा पर ब्याज, बैंक द्वारा जारी अर्जित ब्याज प्रमाण–पत्र के आधार पर लिया गया है।

16. राज्य शासन के परिपत्र क्रमांक 2335, नियम 2/4/72, दिनांक 14.11.72 में निहित प्रावधानानुसार अधिलाभांष भुगतान का प्रावधान शासकीय कर्मचारी के मृत्योपरान्त किया जाना है। इस संबंध में आकस्मिक दायित्व का प्रावधान अनुमानित रुप से अधिकतम दायित्व के रुप में रु.50000/–, किया गया है। प्रति कर्मचारी रु.25000/– आकलित किया गया है।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार **सचिव**